इंड छवि

अंक : 17, जुलाई - सितम्बर 2019

वसूली

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

इंडियन बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत मिड साइज बैंक की श्रेणी में फाइनेंसियल एक्सप्रेस द्वारा प्रायोजित एफ इ बेस्ट बैंक पुरस्कार प्रदान किया किया गया। हमारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, माननीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण जी के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

इंडियन बैंक एवं इलाहाबाद बैंक के समामेलन की घोषणा के पश्चात, इंडियन बैंक के प्रशिक्षण संस्थान इमेज, चेन्नै में टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान श्री पी.सी. दाश, महाप्रबंधक (मासंप्र/राभा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै, इस बैठक में उपस्थित इंडियन बैंक एवं इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गण, कार्यपालक निदेशकों एवं सभागार में उपस्थित दोनों बैंकों के कार्यपालकों तथा स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए।

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय :
राजभाषा विभाग,
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै – 600 014
वेबसाइट : www.indianbank.co.in
ई-मेल : hoolc@indianbank.co.in

मुख्य संरक्षक
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
श्री एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
पी सी दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा)

मुख्य संपादक
डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

संपादक
श्री अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (राभा)

सह - संपादक
श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)

संपादन सहयोग
एस तिरुवल्लुवन, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
ओम प्रकाश वर्मा, प्रबंधक (राभा)
कुलवेन्द्र सिंह, प्रबंधक (राभा)
चन्दन कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक (राभा)
श्वेता गंगिरेड्डी, सहायक प्रबंधक (राभा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं में व्यक्त विचार, लेखकों के अपने हैं। इंडियन बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के लेखकों एवं रचनाकारों से मौलिकता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अनुक्रमणिका

संदेश
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश — 2
- कार्यपालक निदेशकों का संदेश — 3 - 4
- विभागाध्यक्ष की कलम से............. — 5
- मुख्य सम्पादक का संदेश — 6

लेख

बैंकिंग जगत
- डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारत को आगे बढ़ाने के लिए — 30
- वित्तीय समावेशन एवं भुगतान बैंक — 35

सूचना - तकनीकी
- वेब होस्टिंग : परिचय एवं प्रकार — 18

अंक विशेष
- एनपीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट — 7
- बैंकिंग में ऋण वसूली के लिए सरफासी अधिनियम का महत्व — 9
- सत्य कथा पर आधारित: बैंक के साथ हुई जालसाजी, तुरंत कार्रवाई और वसूली — 14
- ऋण निगरानी में सुधार लाने के लिए तकनीक का उपयोग — 26
- एनपीए की समस्या तथा बैंकों का विलय — 31
- एनपीए वसूली : एक चुनौती — 34

अन्य लेख
- वैश्विक मंदी और विश्व — 21

राजभाषा : प्रेरणा एवं प्रोत्साहन
- सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास एवं क्षेत्रीय भाषाएँ — 40

काव्य-वीथि
- नोटबंदी — 13
- अंधा कानून — 23
- जल है तो कल है — 29
- मेरी आशाओं का उदय — 36
- नौकरी की सुन्दरता — 44

यात्रा वृतांत
- काज़ीरंगा की यात्रा : एक अनोखा सफर — 37

महान विभूतियाँ
- दुष्यंत कुमार त्यागी — 45

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

इंडियन बैंक परिवार के प्रिय सदस्यो,

मुझे हमारी हिन्दी पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से आप सभी से जुड़ना अपार हर्ष प्रदान करता है। एक बार फिर मैं इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ।

14 सितंबर सन् 1949 को संविधान सभा द्वारा हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा का गौरव प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हिन्दी माह के दौरान हमारे बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में स्टाफ सदस्य बढ़-चढ़ कर प्रतिभागिता करते हैं। हमें हिन्दी माह के साथ-साथ वर्ष भर अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है तभी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

हाल ही के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की घोषणा के दौरान, हमारे बैंक को ऐंकर बैंक बनाया गया है। यह हमारे निरंतर प्रदर्शन और अच्छी वित्तीय स्थिति की बदौलत है और निश्चित रूप से, यह पूरे इंडियन बैंक परिवार के लिए गौरव का क्षण है। समामेलन के बाद, हम लगभग 6,100 शाखाओं और 42,000 समर्थ कर्मचारियों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर 7 वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बननेवाले हैं। इलाहाबाद बैंक, जिसे हमारे बैंक के साथ समामेलित किया जाएगा, भारत के उत्तर और पूर्व में एक प्रमुख बैंक है। विस्तार के साथ, व्यापार को विस्तृत करने के जबरदस्त अवसर हमें प्राप्त होंगे और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने बैंक को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं।

इस परिवर्तन के दौरान, पूरे इंडियन बैंक परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे ग्राहकों को हमारी सेवा की गुणवत्ता में कोई भी कमी किए बिना, उनका उचित ध्यान रखा जाए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 112 वर्षों की हमारी यात्रा के दौरान निरंतर ग्राहक सहयोग और संरक्षण हमारे बैंक की प्रमुख ताकत रही है और हमें इसे हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इंडियन बैंक परिवार इसपर खरा उतरेगा।

चूंकि समामेलन की प्रक्रिया जारी है, हमें कासा जमा संग्रहण, ऋणों की गुणवत्ता, गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली एवं परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना जारी रखना चाहिए।

इंड छवि का यह अंक 'वसूली' विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। अनर्जक आस्तियां(एनपीए) प्रमुख क्षेत्र है जहां अधिक ध्यान दिया जाना है। आस्ति गुणवत्ता बनाए रखकर तथा संदेहजनक खातों में गिरावटें रोककर लाभ वृद्धि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज, बैंकों द्वारा लाभार्जन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा बैंक अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर निष्पादन किया है। यह सब आप सभी स्टाफ सदस्यों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफल है। अब हमें एक बड़ी टीम भावना से काम करना होगा और इसमें हिन्दी की प्रमुख भूमिका होगी।

एनपीए की वसूली केवल शाखा प्रबंधक, सहायक शाखा प्रबंधक या ऋण अधिकारी का ही कार्य नहीं है । बैंक का अभिन्न अंग होने के नाते यह सभी कर्मचारियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रत्येक कर्मचारी को समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं निदेशों के अनुसार विभिन्न वसूली शिविरों, वसूली अभियान, इत्यादि एनपीए नियंत्रण गतिविधियों में अपना सहयोग देना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से हम आने वाले दिनों में एनपीए प्रबंधन में अवश्य सफल होंगे।

जिन स्टाफ सदस्यों ने इस अंक के लिए अपने लेख भेजे हैं, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे आशा है कि यह अंक वसूली एवं एनपीए रोकने के उपायों पर स्टाफ सदस्यों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा।

शुभकामनाओं सहित..........

पद्मजा चुन्डूरू

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

'इंड छवि' पत्रिका के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह पत्रिका हमारे स्टाफ सदस्यों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है।

साथियो, हम 'हिन्दी माह' बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, जिसके दौरान विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हम राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अंतरबैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार का भी आयोजन करते हैं। हमें अपने कार्यालयों/ शाखाओं में राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करना है। हिन्दी को हृदय से अंगीकृत करना है। सरल हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है।

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 'इंड छवि' के इस अंक को 'वसूली विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वसूली वर्तमान बैंकिंग में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। समय पर ऋण चुकौती न होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, समय रहते इन कारणों की जांच एवं उनका विवेकपूर्ण समाधान अनिवार्य है।

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम के अनुसार हमारा सकल एनपीए अनुपात 7.33% एवं निवल एनपीए अनुपात 3.84% है। हमारे सामूहिक प्रयासों से हमारे बैंक के गत वर्ष के एनपीए रु. 1391 करोड़ के मुक़ाबले हमारा एनपीए रु.1035 करोड़ हो गया है, जिसे हमें निरंतर कम करते रहना है। हमारे परिचालन लाभ एवं निवल लाभ में वृद्धि हुई है। हमें निवल ब्याज़ लाभ पर ध्यान केन्द्रितकर इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है, जब हमारे ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि के साथ एनपीए में भी कमी आए। हमें अपने वसूली कार्यक्रम में और अधिक तेज़ी लानी है।

हम सभी को वसूली के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना है। टीम इंडियन बैंक ने बैंकिंग के प्रत्येक वर्ग में अपनी पहचान बनाई है। हम एनपीए को न्यूनतम करने के अपने प्रयासों को तीव्र करेंगे, अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

शुभेच्छाओं सहित !

एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

"हिन्दी दिवस" की हार्दिक शुभकामनाएँ !

इंडियन बैंक की गृह पत्रिका “इंड छवि” की "वसूली” पर केन्द्रित इस विशेष अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करना और इसके माध्यम से अपने मन की बात आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। आप सभी के सतत प्रयासों से आज के चुनौतीपूर्ण आर्थिक दौर में भी हमारा बैंक वसूली के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। हालाँकि इस मामले में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है।

जैसा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि सामान्य तौर पर बैंकिंग उद्योग एवं विशेष रूप से इंडियन बैंक एक गंभीर चिंतन - मनन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग उद्योग की गहराती भूमिका, विनियमन में ढील और आस्तियों की गिरती हुई गुणवत्ता ने बैंकों के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। अनर्जक आस्ति (एनपीए) प्रबंधन इन्हीं चुनौतियों में से एक है जो एक केन्द्रीय बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया है। बैंकों में बढ़ती अनर्जक आस्तियां दो-धारी तलवार की तरह होती हैं जो न केवल इस तरह के ऋणों पर मिलनेवाले ब्याज पर रोक लगा देती हैं, बल्कि उनके लिए प्रावधान भी करने पड़ते हैं। यह आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटि पर प्रतिलाभ (आरओई) जैसे लाभप्रदता अनुपात को कम करता है। यह हानि में भी परिणत हो जाता है जिससे पूंजी संरचना और हमारी ऋण देने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप, निवेशक अपने शेयरों की बिक्री करने लगते हैं, और इससे शेयर मूल्य एवं बाजार पूंजी में गिरावट हो सकती है।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें एवं बढ़ती अनर्जक आस्तियों को कम कर बैंकों की साख को मजबूत बनाएँ। यद्यपि किसी भी व्यवसाय का अपना जोखिम होता है, बैंकिंग उद्योग इससे अछूता नहीं है। बैंकिंग व्यवसाय में आस्तियों की अनर्जकता को शून्य तक नहीं लाया जा सकता है, किन्तु ऋण गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर खातों की लगातार निगरानी करके, प्रतिवर्ष तुलनपत्र और आयकर विवरणी लेकर, नियमित अंतराल पर आस्तियों/व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करके, हर माह स्टॉक स्टेटमेंट लेकर, आहरण शक्तियों को निगरानी में रखकर, खाते में लेन-देन के साथ वित्तीय विवरणों का तारतम्य बैठाते हुए उसे न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें अनर्जक आस्तियों की वसूली पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अनर्जक आस्तियों की वसूली बैंक के तुलनपत्र को वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाती है। वसूल की गई पूँजी आय में प्रवृत्त होकर अर्जन कार्य में शामिल होकर किए गए प्रावधानों को मुक्त करती है। इस तरह बैंक की लाभप्रदता बढ़ती है, पूँजीगत ढाँचा मजबूत होता है और अंतत: बेहतर शेयर कीमतों एवं बाजार पूंजी में प्रतिबिंबित होकर बैंक की रेटिंग भी बढ़ जाती है।

मंजूर किए गए ऋण के आधार पर, अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे लोक अदालत, सिविल दावे, सरफेसी प्रक्रिया, ऋणी वसूली अधिकरण (डीआरटी), दिवाला एवं शोधन संहिता (IBC) / राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) आदि। लेकिन शर्त यह है कि हम समय पर इन उपायों को अमल में लाएं और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें।

मुझे खुशी है कि हमारी तिमाही पत्रिका “इंड छवि” ने "आस्ति प्रबंधन" को इस अंक के थीम के रूप में लिया है। मुझे विश्वास है कि इससे चुनौतियों के साथ-साथ उनके प्रभावी रूप से निपटान हेतु हमारी जागरूकता भी प्रभावी रूप से बढ़ेगी और वसूली पर ध्यान केंद्रित करने और आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगी।

शुभकामनाओं सहित !

वी वी शेणॉय

वी वी शेणॉय

कार्यपालक निदेशक

विभागाध्यक्ष की कलम से....

प्रिय साथियो,

मुझे खुशी है कि हमारी त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'इंड छवि' अब एक लोकप्रिय पत्रिका बन चुकी है। प्रत्येक नए अंक के साथ इस पत्रिका के पाठकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आपसे प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियाएँ, हमें इस पत्रिका को अधिक आकर्षक बनाने और पत्रिका की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे खुशी है कि इस बार पत्रिका के इस अंक को 'वसूली विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

यह खुशी का विषय है कि हम सितंबर के दौरान 'हिन्दी माह' का आयोजन करते हैं और कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी हमारे देश का गौरव है। हिन्दी विभिन्न भाषाओं का एक ऐसा समागम है जो सम्पूर्ण भारत के गौरव को बढ़ाती है। हिंदी – अहिंदी दोनों प्रदेशों के मध्य यह भाषासेतु अपना विशेष महत्व रखता है। 'हिंदी माह' के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएँ।

'वसूली' प्रक्रिया भारतीय बैंकिंग जगत का बहुचर्चित विषय रहा है। इस पर अब सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित है। 5 जुलाई 2019 को लोकसभा में बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि चूककर्ताओं से अब तक चार लाख करोड़ रु. की वसूली की गई है जो एक अच्छा संकेत है। बैंकों का एनपीए घटा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे बैंक ने 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रसंशनीय लाभ अर्जित किया है। एनपीए रोकने का हमने भरसक प्रयास किया है। आनेवाले समय में हमें वसूली पर विशेष ध्यान देना है ताकि एनपीए को और कम किया जा सके और बैंक लाभप्रदता के नए कीर्तिमान स्थापित करे।

शुभकामनाओं सहित...........

परेश चन्द्र दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र/ राभा)

मुख्य सम्पादक का संदेश

"मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा"।

संगम चाहे संस्कृति का हो, कार्य पध्दति का हो अथवा विचार का हो, हमेशा नए क्षितिज की ओर ले जाता है। "इंड छवि" का यह अंक ऐसे समय पर निकल रहा है जब बैंकिंग उद्योग में विलयन के सरकारी निर्णय के पश्चात इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के समामेलन की घोषणा हो चुकी है और दोनों बैंक बड़ी आतुरता तथा तेजी से इस ओर अग्रसर हैं । यह सिर्फ दो बैंकों का समामेलन नहीं है बल्कि उत्तर पूर्व और दक्षिण की मेधा का सम्मिलन है। द्रविण एवं आर्य संस्कृति का संगम है । दक्षिण के पठार और उत्तर पूर्व के मैदानों का आलिंगन है तथा कला और प्रौद्योगिकी का मधुर मिलन है। यह निश्चित ही बैंक के विकास के साथ साथ देश की अर्थव्यस्था में तीव्र उन्नति का संकेतक है।

इस समामेलन की प्रक्रिया में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्योंकि भाषा के सेतु पर से ही गुजरकर हम समामेलन के अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे । इलाहाबाद बैंक की अधिकतम शाखायें उत्तर और पूर्वी भारत में स्थित हैं जहाँ हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग होता है । इलाहाबाद बैंक के स्टाफ सदस्यों के साथ परस्पर संवाद और आपसी विचार विमर्श के लिए हिन्दी भाषा बहुत सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा शाखाओं के समग्र व्यापक नेटवर्क में एक समान उत्पादों के सामंजस्यपूर्ण समूह को अपनाने के लिए इलाहाबाद बैंक के उत्पादों, प्रक्रियाओं और नीतियों में भी बदलाव की जरूरत होगी जिसमें भाषा अपनी व्यापक भूमिका निभाएगी।

"इंडछवि" का यह अंक ऋण वसूली पर केन्द्रित है। आज आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना और उनसे लगातार अर्जन करते रहना बहुत बड़ी चुनौती है। ऋण मंजूर करने से पहले ऋणी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी निकालना, उसके व्यवसाय के बारे में बाजार से तटस्थ रिपोर्ट प्राप्त करना, जिनके साथ वह व्यवसाय कर रहा है उनके बारे में सम्पूर्ण सूचनायें जुटाना, उसकी व्यक्तिगत साख के बारे में पता करना, व्यवसाय से संबन्धित वित्तीय विवरणों की व्यापक जांच-परख करना और ऋण मंजूर करने के उपरांत कार्य स्थान का नियमित रूप से निरीक्षण, ऋण खाते का लगातार अनुवर्तन, वित्तीय विवरणों की जाँच-पड़ताल आदि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिससे आस्तियों की गुणवत्ता को कुछ हद तक बनाए रखा जा सकता है। यदि खाता किसी कारणवश अनर्जक आस्तियों की श्रेणी में चला जाता है तो सर्वप्रथम उन कारणों का पता लगाकर और बैंक में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करते हुये खाते को अर्जक बनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये और यदि खाता फिर भी अनर्जक श्रेणी में बना रहता है तो वसूली प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिये। वर्तमान में ऋण वसूली के कई कारगर उपकरण हैं जिसके समयानुकूल कार्यान्वयन से ऋण वसूली की संभावनायें बढ़ जाती हैं। इनमें से सरफेसी, वाद दाखिला, एकबारगी समझौता (OTS), ऋण वसूली / अपीलीय अधिकरण, दिवाला एंव शोधन संहिता (IBC) आदि प्रमुख हैं।

भाषा के क्षेत्र में सितंबर माह का बहुत महत्व है क्योंकि संविधान सभा ने इसी माह की 14 तारीख को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे कार्पोरेट कार्यालय के अलावा सभी अंचल कार्यालयों, क्षेत्र महाप्रन्धक के कार्यालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली शाखाओं को शामिल करते हुये हिन्दी माह का आयोजन किया है। कई तरह की प्रतियोगितायें आयोजित की गई हैं जिसमें स्टाफ सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस तरह के समारोह से राजभाषा के बारे में एक माहौल बनाता है और जागरूकता बढ़ती है।

हिन्दी दिवस की शुभकामनाओं के साथ,

डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

एनपीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट

बैंकिंग सेक्टर में एनपीए यानि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है, एनपीए के चलते बैंकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब बैंक किसी को ऋण देता है और वह बैंक को कुछ समय बाद उस ऋण पर ब्याज देना और फिर किस्तें देना बंद कर देता है तो बैंक उसे एक निश्चित समय सीमा के बाद एनपीए घोषित कर देता है। साधारण भाषा में कहें तो बैंक का यह पैसा एक तरह से उसके पास से दूर चला जाता है और बैंक के पास उस पैसे का कोई लाभ नहीं मिलता है। नियमानुसार किसी भी ऋण की किस्त, मूलधन और ब्याज अगर 90 दिन से अधिक समय तक बैंक को नहीं मिलता है तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ऐसे में बैंकों की बढ़ रही गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) बड़ा संकट पैदा कर सकती है। क्या है एनपीए? क्या वजह है इसके बढ़ने की? बैंकों के ऋण को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं चुकाई जाती।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि एनपीए कितने तरह का होता है? एनपीए मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, पहला सबस्टैंडर्ड, दूसरा डाउटफुल और तीसरा लॉस यानि हानि वाला। सबस्टैंडर्ड एनपीए के तहत उस राशि को डाला जाता है जिसमें 12 महीने या उससे कम समय तक कोई भी रिटर्न नहीं आता है, डाउटफुल एनपीए में वह ऋण आता है जिसमें 12 महीने बाद भी कोई रिटर्न नहीं आता है।

देश के सूचीबद्ध कमर्शियल बैंकों का एनपीए 8. 41 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से लगभग 90% सरकारी बैंकों में है, जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लगभग 70% संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो समय रहते कोई उपाय नहीं किया गया तो यह आंकड़ा 20 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

ऋण की स्थिति काफी खराब है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे बैंकों से यह चूक होती है, जिसका भुगतान एनपीए के तौर पर उन्हें उठाना पड़ता है। ब्रिक्स देशों के समूहों में भारत सबसे फिसड्डी देश है, जहां 2016 में 10 फीसदी एनपीए था, जोकि कुल 7 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन बाद में यह सामने आया कि यह एनपीए 10 फीसदी नहीं बल्कि 80 फीसदी है। दरअसल जब कोई कंपनी अपनी अपेक्षा के प्रतिकूल कंपनी का आंकलन करती और अपने व्यवसाय को संभाल नहीं पाती है तो वह ऋण वापस देने में विफल हो जाती है, दूसरी स्थिति में जब वैश्विक मंदी आती है तो कोई विशेष सेक्टर उसकी चपेट में आता है तो कंपनी ऋण चुकाने में विफल रहती है और तीसरी स्थिति वह होती है जब कंपनी के अंदर किसी तरह का घोटाला हुआ और गलत तरीके से बैंक से ऋण लिया गया।

एनपीए से देश और बैंकों पर असर : एनपीए के चलते बैंकों को मिलने वाला लाभ कम हो जाता है, जिससे सरकार के पास

राजस्व कम पहुंचता है, ऐसे में सरकार की निवेश करने की क्षमता में गिरावट आती है और देश के विकास की रफ्तार कम हो जाती है, साथ ही बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। लिहाजा इस स्थिति से निपटने के लिए बैंक अपनी ब्याज दर को बढ़ाता है ताकि वह इस नुकसान की भरपाई कर सके।

एनपीए को कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम : बहरहाल सवाल यह उठता है कि अगर यह स्थिति इतनी

खराब है तो इसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 2015 में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की थी, जिसमें बैंकों में बड़े स्तर पर सुधार लाने की योजना थी। इसके तहत सरकार ने 7000 करोड़ रुपए का सहयोग सरकारी बैंकों को दिया ताकि उनकी कार्यक्षमता को बेहतर किया जा सके। साथ ही बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया जो बैंकों के भीतर काम को बेहतर करने की दिशा में काम करेगी। इसी योजना के तहत स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग यानि एसडीआर का अधिकार बैंकों को दिया गया जिसके तहत बैंक उन कंपनियों का मालिकाना हक अपने पास ले सकती है जो किसी भी स्थिति में अपना ऋण वापस नहीं लौटाते हैं।

कैसे आया यह संकट ? जिस तरह से वर्ष 2007 में वैश्विक मंदी आई, उस दौर में बैंकों ने इससे निपटने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे में बैंकों पर एनपीए की समस्या का पूरा ठीकरा फोड़ना कतई जायज नहीं है। इस मंदी के दौर में जिस तरह से बैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई उसके बाद बैंकों को तुरंत सशक्त करने के कदम नहीं उठाए जाने से देश की अर्थव्यस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसकी वजह से कई बड़ी समस्या निकलकर सामने आई जिसमें पहली थी ऋण देने से बैंक परहेज करने लगे, दूसरा एनपीए की समस्या का स्थाई समाधान नहीं होने की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लग गया, बैंक इन प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा देने की स्थिति में नहीं थे, जबकि तीसरी असर यह पड़ा कि उद्योगपति कर्ज में डूब गए और नया लोन लेने की स्थिति में नहीं थे।

बैंको में पुनर्पूंजीकरण के साथ बैंको के कामकाज को और पारदर्शी बनाकर इस समस्या से कहीं हद तक पार पाया जा सकता है। सरकारी बैंको के आंतरिक अंकेक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी कंपनी को ऋण देने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और परियोजना की व्यावहारिकता की निष्पक्ष जांच हो तथा बगैर पर्याप्त सुरक्षा और बंधक के कोई ऋण स्वीकृत न हो। बैंको को 3पी मॉडल पर विकसित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

ओमप्रकाश वर्मा
प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

आज सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया
और आंखें बंद करके सोचने लगा- कौन हूं मैं?
कहां से आया हूं?
क्यों आया हूं?
तभी किचन से आवाज आई- एक नम्बर के आलसी हो तुम,
पता नहीं कौन सी दुनिया से यहां आये हो मेरा वक्त खराब करने,
उठो और नहाने जाओ...!!!

पत्नी - शादी क्या है?
पति - 'मान भी जाओ'
से लेकर 'भाड़ में जाओ'
तक का सफर ही शादी है!
बाकी सब तो मोह-माया है

चुटकुले

पुलिस : तुम्हारे सारे काग़ज़ात ठीक हैं लेकिन फाइन लगेगा 2000 का...
गाड़ी वाला- सर सब कागज ठीक हैं फिर फाईन किस बात की?
पुलिस : तुमने सारे कागज संभाल कर पॉलीथिन में रखे हैं,और पॉलीथिन बैन है...

(संकलित)

बैंकिंग में ऋण वसूली के लिए "सरफेसी" अधिनियम का महत्व

भारतीय बैंकिंग जगत इस समय जिन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है, उनमें से ऋण वसूली सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या इतनी जटिल और संवेदनशील है, कोई इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहता। ऋण के अशोध्य ऋण में परिवर्तित होने के अनेक कारण हैं, जैसे अपात्र व्यक्ति को ऋण देना, बैंक स्टाफ द्वारा शिथिल मूल्यांकन और शिथिल अनुवर्ती कार्रवाई, प्राकृतिक आपदाएँ एवं अप्रत्याशित घटनाएँ, वैश्विक व्यापार / घटनाएँ/ परिस्थितियाँ। इस प्रकार इसके कारणों को दो भागों में बाँट सकते हैं। एक है जिसपर नियंत्रण किया जा सकता है और दूसरा जो नियंत्रण से परे है।

नियंत्रण करने वाले साधनों में प्रथम साधन है गुणवत्तापूर्ण ऋण। कभी- कभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव में ऋण प्रदान किए जाते हैं, कुछ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अपात्रों को ऋण प्रदान किए जाते हैं और कभी-कभी बैंक कर्मियों द्वारा लालच और भ्रष्टाचार के कारण भी अपात्रों को ऋण प्रदान किए जाते हैं जोकि अधिकांशतः अनर्जक आस्तियों में बदल जाते हैं।

इनके साथ ही उचित वसूली प्रयासों के अभाव में भी ऋण अनर्जक आस्तियों में बदल जाते हैं। व्यक्तिगत संपर्क करके, मोबाइल / फोन द्वारा संपर्क करके, नोटिस भेजकर, सहायता आकांक्षी इकाइयों की सहायता करके, वसूली शिविर लगाकर, एकबारगी निपटान, लगातार अनुवर्तन, इत्यादि के माध्यम से ऋणों को अशोध्य ऋण होने से बचाने के उपाय किए जाते हैं किन्तु कभी-कभी सरफेसी अधिनियम बैंकों कों ऋण वसूल करने में बड़ा कारगर प्रमाणित होता है।

हम इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में देखते हैं कि बैंकों में अनर्जक आस्तियां सदैव की भांति बढ़ रही हैं। यदि उनको समय रहते नहीं रोका गया, तो बैंकों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक बिगड़ सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व के सभी देशों को कभी-न-कभी सामना करना पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु कई उपाय किए गए। जैसे सबसे पहले 1992-93 में नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर आय निर्धारण एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण का गठन, संयुक्त मूल्यांकन संचालन सुदृढ़ करना, सिबिल का गठन, एक मुश्त निपटान प्रणाली, कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्थापन तथा वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और सरफेसी अधिनियम।

ऋण प्रदान करना बैंकिंग प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तदनुसार समय से ब्याज सहित ऋण वापसी, ऋणी का दायित्व है। परन्तु, देखा गया है कि ऋण वापसी की प्रक्रिया दोषपूर्ण है तथा ऋणी बैंक ऋण की वापसी या तो करते नहीं हैं अथवा समय से नहीं करते। ऋणी से ऋण राशि समस्त प्रभारों सहित वापस लेना बैंक का दायित्व है क्योंकि इसी से बैंक की लाभप्रदता जुड़ी है। परन्तु ऐसा होता नहीं है। बैंकों का काफी पैसा ऐसे ग्राहकों के पास फंसा है जो उसे वापस नहीं कर रहे हैं।

ऐसा ऋण जो वापस नहीं किया है और कम से कम 90 दिनों से उस पर ब्याज के रूप में लाभ मिलना बंद हो गया है अथवा लम्बित है, उसे अनर्जक आस्ति कहा जाता है इसके कई कारण हो सकते हैं जेसे -

- राजनीतिक हस्तक्षेप
- कानून का लचर प्रवर्तन
- जटिल कानूनी प्रक्रिया
- विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार

सरकार इस बात से अवगत है कि बैंकों के ऋण वापस न आने के कारण बैंक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तथा उनकी वापसी के लिए बैंकों के पास समुचित कानूनी अधिकार नहीं है।

न्यायिक प्रक्रिया अत्याधिक लचर एवं देरी करने वाली है और प्राय: किसी न किसी आधार पर तमाम मुकदमें अदालतों में लंबित हैं।

1. सरकारी नीति के कारण ऋण वितरण जिनकी वापसी जटिलतम कार्य है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए 1986 के रूग्ण औद्योगिक कानून पारित किया गया। परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस एक्ट की धारा 22 के द्वारा रूग्ण कम्पनियों को लाभ मिला और समस्या बढ़ती गई।

इसके बाद सरकार ने 1993 में "बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वसूली एक्ट 1993 पारित किया। इसके अंतर्गत "ऋण वसूली अधिकरण" का गठन किया गया। प्रारम्भिक गतिरोध के बाद अन्ततोगत्वा स्थिरता का वातावरण सृजित हुआ परन्तु, सफलता अभी भी दूर थी। यद्यपि अनर्जक आस्तियां कम हुई थीं क्योंकि वसूली में वृद्धि हुई थी परन्तु, अभी भी कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी।

अन्तोगत्वा दिनांक 28.02.2002 को बजट प्रस्तुत करते हुए, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने कहा कि सरकार बैंकों की ऋण वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा इसके लिए बैंकों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, पैरा 49 (बजट स्पीच) में श्री सिन्हा ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के जरिए, बैंकों की दक्षता तथा प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि :

- सरकारी बैंकों ने वर्ष 2000-2001 में रु.12860/- करोड़ की वसूली की थी जो कि वर्ष 1999-2000 की रु.9883/- करोड़ की वसूली के मुकाबले 30.12 प्रतिशत अधिक है।
- इन बैंकों का सकल एनपीए, सकल ऋण के मुकाबले वर्ष 2000-2001 में 6.7 प्रतिशत था जो कि वर्ष 1999-2000 में 7.4 प्रतिशत था तथा वर्ष 93-94 में 14.5 प्रतिशत।
- दिनांक 30.09.2001 को देश में 29 ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा 5 अपीली न्यायाधिकरण कार्यरत थे जिन्होंने 18703 मुकदमों का निपटान किया जिसमें बैंकों के रु. 14026 करोड फंसे थे। इसके अतिरिक्त रु.3527 की वसूली भी की गई।
- प्रायोगिक आधार पर एक आस्ति पुनर्गठन कम्पनी दिनांक 30 जून, 2002 तक स्थापित कर दी जाएगी जिसमें सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों तथा अन्य एजेंसियों की भागीदारी रहेगी। कम्पनी बैंकों की अनर्जक

आस्तियों को लेकर प्रतिभूतिकरण ऋण के बाजारीकरण का विकास करेगी।

तदनुसार दिनांक 21 जून, 2002 को राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अन्तर्गत 'प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश 2002" जारी किया, जिसके अन्तर्गत न्यायालय के बिना हस्तक्षेप, उपचार करने की दिशा में बैंकों को अधिकार प्रदान किए गए। सरकार ने यह आशा जताई कि इससे बैंकों को ऋण वसूली करने में सहायता मिलेगी तथा बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कमी आयेगी जो कि बैंकों के लिए चिन्ता का विषय था।

अगस्त 2002 के मानसून सत्र में यह अधिनियम पारित नहीं हो सका, अत: राष्ट्रपति महोदय ने अगस्त 2002 में पुन: एक अध्यादेश जारी किया। तदोपरांत दिसम्बर 2002 में संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया तथा उक्त अधिनियम में पूर्व अध्यादेश की तिथि 21.06.2002 से अधिनियम का रूप ले लिया।

सरफेसी एक्ट 2002 की प्रमुख विशेषताएं :

सरफेसी एक्ट स्वयं में एक संपूर्ण एक्ट है जिसके तहत बैंकों को वृहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। परन्तु, अनुभव यह बताता है कि बैंक इसका पूरा लाभ अभी उठा नहीं पा रहे हैं। तथापि पूरा लाभ उठाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी आवश्यक है जो कि निम्नानुसार हैं-

यद्यपि यह अधिनियम एक है परन्तु इसमें तीन प्रावधानों का समिश्रण है :

1. प्रतिभूतियों में हितों का प्रवर्तन

2.प्रतिभूतिकरण

3. आस्ति पुनर्सरचना

प्रतिभूतियों में हितों का प्रवर्तन

सरफेसी अधिनियम का सबसे प्रभावी प्रावधान यह है कि प्रतिभूति ऋणदाता /वित्तीय संस्थान न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप तथा अनुमति के बिना भी प्रतिभूति का निस्तारण, मानक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, कर सकते हैं जिसके लिए बैंक द्वारा ऋणी की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिनों का नोटिस देते हुए ऋण वापसी का अनुरोध करेंगे। यदि ऋणी ऋण वापिस नहीं करता है तो धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रतिभूति ऋणदाता सम्पत्ति पर कब्जा कर सकता है अथवा उसके लिए प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है अथवा उसका प्रबंध अपने अधिकार में ले सकता है। परन्तु, इस अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब आस्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशानुसार "अनर्जक आस्ति" घोषित की जा चुकी हो। वर्तमान नियमानुसार वे समस्त आस्तियां, अनर्जक आस्तियां कही जाएंगी जिनका मूलधन अथवा ब्याज, 90 दिनों से अधिक लंबित हो।

संरक्षित ऋणदाता को यह ध्यान रखना होगा कि धारा 13)2(के अन्तर्गत 60 दिनों का नोटिस देने के बाद यदि ऋणी का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उसका अंतिम निस्तारण प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। पहले यह समय सीमा 07 दिनों की थी।

वर्तमान में यह अधिकार केवल सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को ही प्राप्त है। प्रतिभूति ऋणदाता कब्जे में की गई सम्पत्ति/आस्ति को बेच सकता है यदि उसके बाद भी ऋण की पूर्ण अदायगी नहीं हो पाती है तो वह ऋण वसूली अभिकरण में दावा कर सकता है अथवा बंधककर्ता के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है।

यह समस्त कार्यवाही प्रतिभूति ऋणदाता की ओर से 'प्राधिकृत अधिकारी' द्वारा की जा सकती है, जो कि कम से कम वेतनमान -4 के अनुसार होने चाहिए।

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार मांग पत्र उस स्थान पर, जहां ऋणी अथवा उसका अभिकर्ता जिसे ऋणी की ओर से नोटिस अथवा प्रलेख प्राप्ति का अधिकार हो, या जहां वह वास्तविक अथवा स्वेच्छापूर्वक निवास करते हों, अथवा कार्य करते हों, अथवा लाभ प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत कार्य करते हों, देय पावती अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है।

यदि ऋणी नोटिस प्राप्ति से जानबूझकर बच रहा हो तो नोटिस को उसके निवास स्थान के बाहरी दरवाजे अथवा सहज द्वार मार्ग पर चिपका कर सूचित किया जा सकता है।

संरक्षित ऋणदाता यह भी कर सकता है कि वह आस्ति को प्रतिभूतिकरण अथवा पुनर्संरचना कम्पनी को हस्तांतरित कर दे। इस अवस्था में यह कम्पनी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को प्राप्त है।

धारा 17(2) के अनुसार ऋणी धारा 13(4) के अन्तगर्त संरक्षित ऋणदाता द्वारा कब्जा ले लेने के बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है परन्तु, वह धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राप्त मांग पत्र के बाद ऐसा नहीं कर सकता है।

धारा 34 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय को इस प्रकार के किसी भी वाद को सुनने का अधिकार नहीं है। अलबत्ता ऋणी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 223 के अन्तर्गत रिट फाइल कर सकता है।

धारा 18(1) के अन्तर्गत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध ऋण वसूली अपीली न्यायाधिकरण को अपील दायर कर सकता है।

यदि ऋणी डीआरटी अथवा डीआरएटी में सफल हो जाता है तो वह कब्जा वापस लेने तथा मुआवजे तथा वाद का खर्च को पाने का अधिकारी होगा न कि हर्जाने का, जैसा कि धारा 19 में वर्णित है।

प्रतिभूतिकरण

साधारणतया: प्रतिभूतिकरण के लिए केवल वे खाते होते हैं जो ठीक चल रहे हों, अर्जक आस्ति होती हो, और उनकी ऋण

रेटिंग अच्छी हो। परन्तु सरफेसी अधिनियम के बाद अनर्जक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण भी किया जा सकता है। कोई प्रतिभूतिकरण कम्पनी, आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी अथवा कोई आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी, प्रतिभूतिकरण कम्पनी के रूप में कार्य कर सकती है।

इस प्रकार की कम्पनी को सरफेसी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है और यह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 4 'ब' के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था मानी जाएगी।

"प्रतिभूतिकरण कम्पनी" किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के 'वित्तीय आस्तियों' का अधिग्रहण कर सकती है चाहे वह 'ऋण' हो अथवा 'प्राप्तियां' हों। प्रतिभूतिकरण के अन्तर्गत वर्तमान सहित भविष्य की प्राप्तियों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। प्रतिभूतिकरण का उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में आस्ति एवं देयताओं में सामंजस्य करवाना है। इस प्रकार बैंकों की अनर्जक आस्तियां, प्रतिभूतिकरण कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत हो जाएंगी और बैंक अपने अन्य कार्यकलापों को निर्बाध रूप से कर सकेंगे।

साथ ही यह भी व्यवस्था है कि बैंक/वित्तीय संस्थानों या प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्संरचना कम्पनी व क्यूआईबी (क्वालीफाइड इन्स्टीट्यूशनल बिड्स) जो एसपीवी (स्पेशल परपस विहीकल) के जरिए अनर्जक आस्ति का अधिग्रहण करते हैं, के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसे उनको 'मध्यस्थीकरण एवं समझौते' अधिनियम 1946 की धारा 11 के अन्तर्गत 'समझौते' अथवा 'मध्यस्थीकरण' के लिए भेजना आवश्यक है।

आस्ति पुनर्संरचना

सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत केवल अनर्जक आस्तियों का ही अधिग्रहण किया जा सकता है। 'प्रतिभूतिकरण कम्पनी' की भांति ही 'आस्ति पुनर्संरचना' कम्पनी को भी सरफेसी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में अपना पंजीकरण कराना होगा तथा यह भी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था होगी।

आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था के "वित्तीय आस्तियां" की वसूली करके वित्तीय सहायता करने के लिए अधिग्रहित कर सकता है। इसका उद्देश्य भी वही है जो "प्रतिभूतिकरण" का है। शेष अन्य उपबंध भी प्रतिभूतिकरण जैसे ही है।

सरफेसी अधिनियम का वसूली पर प्रभाव : विवेचनात्मक अध्ययन

यहाँ संक्षेप में ही सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को इंगित किया गया है। पूर्व पृष्ठों में स्पष्ट किया जा चुका है कि बैंकों में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की समस्या लगातार बनी हुई है परन्तु सरफेसी अधिनियम द्वारा बैंक को प्रदत्त अधिकारों के कारण जहां अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हो रही है, वही उनकी वसूली भी सतत रूप से हो रही है। अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा ऋणी की सम्पत्ति का अधिग्रहण धारा 13(4) तथा ऋण वापसी पर उसको बेचकर ऋण की वसूली से बैंकों की वसूली पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम से पूर्व कोई भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी ऋणी की अचल सम्पत्ति को कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं बेच सकता था परन्तु अब बैंक ऐसा कर सकता है तथा अपने ऋण की वसूली सभी प्रभारों सहित कर सकता है। परन्तु इसके लिए पहले उसे :-

1. ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का मांग पत्र

भेज कर ऋण की अदायगी का अनुरोध करना होगा।

2. यदि ऋणी, मांग पत्र के खिलाफ कोई प्रत्यावेदन करता है तो 15 दिनों के अन्दर प्रत्यावेदन का निस्तारण करना होगा।

3. यदि ऋणी, ऋण की अदायगी नहीं करता है तो बैंक धारा 13(4) के अन्तर्गत उसकी सम्पत्ति का कब्जा लेने का नोटिस दे सकता है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत सांकेतिक रुप से उसे कब्जे में ले सकता है।

4. सांकेतिक कब्जा लेने के बाद बैंक का प्राधिकृत अधिकारी वास्तविक कब्जा करने हेतु जिलाधीश के पास जा सकता है ओर सम्पत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करके "जहां है, जैसा है" के आधार पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर सकता है।

5. इस प्रकार बैंक अपने ऋण की वसूली कर सकता है। ऐसे दृष्टांत आए हैं कि काफी ऋणी बैंक की इस कार्यवाही से बचने के लिए बैंक के ऋण की अदायगी कर देते हैं जिससे बैंक को अपने अनर्जक आस्तियों को कम करने में सहायता मिलती है।

सरफेसी अधिनियम पारित होने के पश्चात तथा बैंकों को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत बैंक अपने ऋणों की वसूली कर रहे हैं। क्योंकि इस सारी प्रक्रिया में कोर्ट की कोई दखलअंदाजी नहीं है तथा सिविल कोर्ट को भी किसी प्रकार के वाद को चलाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: कानूनी प्रक्रिया के द्वारा देरी की सम्भावना भी समाप्त हो गई है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण भी बैंकों की ऋण वसूली में अपना सकारात्मक सहयेाग प्रदान कर रहे हैं।

कुल मिलाकर कहना उचित होगा कि सरफेसी अधिनियम 2002, बैंकों की ऋण वसूली का एक प्रभावी कदम है, जिसका लाभ बैंक उठा रहे हैं और आगे भी इसका लाभ बैंकों को मिलता रहेगा।

कुलवेन्द्र सिंह
प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

नोटबंदी

जब 8 नवंबर 2016 को, नोटबंदी का ऐलान टीवी पर आया।
500 और 1000 के नोटों पर, संकट का बादल छाया।
एक ऐसा ऐलान किया कि, रातों की नींद उड़ा दी।
500 और 1000 के नोटों पर, नोटबंदी लगा दी।

जब खबर व्हाट्सप्प पर फैली, तब कोई माना नहीं।
सब सोचे कि आखिर ऐसा हो सकता है कहीं।
जब बात समझ में आई तब, सब लोग हड़बड़ाए।
कोई जौहरी के पास, तो कोई बैंक के पास मंडराए।

अगले दिन से बैंक और एटीएम में, लंबी लाइन लगी।
सुबह के नाश्ते से लेकर, रात की चारपाई वहीं लगी।
कालेधन वाले अमीरों ने, अपने नए ग़रीब दोस्त बनाएँ।
काले को सफ़ेद बनाने के लिए, नए-नए हथकंडे अपनाए।

नए-नए नियम आए और अगले ही दिन वे बदले।
चावल के डब्बे और बिस्तर के नीचे से सारे नोट निकले।
काला धन वापस आया या नहीं, ये कोई न जाना।
पेटीएम करने का, लोगों को मिला बहाना।

कुछ अखबारों को लाइन में लाशें दिखी, कुछ ने देखी आशा।
पक्ष और विपक्ष दोनों ही सोचें, आखिर कैसा है ये पासा।
कोई बोले ग़लत है निर्णय, और कोई करे प्रशंसा।
चाहे कोई कुछ भी बोले, सरकार की सही थी मंशा॥

अभिमन्यु कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

सत्य कथा पर आधारित .....

बैंक के साथ हुई जालसाजी, तुरंत कार्रवाई और वसूली

बात वर्ष 2013-14 की है। उन दिनों मैं मुंबई अंचल के कांदिवली पश्चिम की शाखा में तैनात था। शाखा में कार्यग्रहण के पश्चात मैंने ऋण प्रलेखों से संबन्धित जांच पड़ताल कर ली थी और कुछ छोटी मोटी कमियों के अलावा सारे प्रलेख ठीक पाये थे। चूंकि शाखा आवासीय क्षेत्र में स्थित थी, अत: ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी।

मुंबई के ग्राहकों की एक खास आदत है कि जब तक बहुत जरूरी न हो वे शाखा प्रबन्धक को तकलीफ नहीं देते। वे अपना काम काउंटर से निपटा कर चले जाते हैं। या तो वे बहुत जल्दी में होते हैं या अपने काम में बेहद व्यस्त। कुछ भी हो, शाखा प्रबन्धक के लिए यह बहुत अनुकूल स्थिति होती है। उसे अपना काम करने का पूरा समय मिलता है।

शाखा के आंतरिक स्थितियों और कार्यों को पूरी तरह से समझने तथा पर्याप्त नियंत्रण के पश्चात मैंने व्यवसाय प्रसार की ओर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। मैं व्यवसाय समय अर्थात सुबह 9.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक शाखा में रहता और उसके बाद बाहर निकल जाता। मैं या तो अपने वर्तमान ग्राहक के पास चला जाता था या उसके जान पहचान वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास जहां से नया व्यवसाय मिलने की उम्मीद होती थी। इसी दौरान यदि उस इलाके में बैंक को बंधक कोई आस्ति/संपत्ति होती थी या किसी का कार्यालय अथवा दुकान होती थी तो उसका भी निरीक्षण कर लेता था।

जनवरी का महिना था। २ जनवरी की शाम करीब 7.00 बजे का समय था। वातावरण में हल्की ठंडक थी। मैं मालाड पश्चिम के मालवानी इलाके में था। मालवानी में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हैं। म्हाडा की कुछ कालोनी बनी थी जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लोगों को आबंटित की गई थी। इसके अलावा वहाँ अधिकांश लोग झोपड़पट्टी में रहते थे। झोपड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण असामाजिक तत्वों की अधिकता थी। मालवानी के पीछे पश्चिम की तरफ समुद्र था। समुद्र के किनारे की ज़मीनों पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा था जहां अवैध प्रकार के कारोबार होते थे।

मेरी शाखा में लोलो इंटरप्राइजेस नाम से एक ओसीसी खाता था जिसे वर्ष 2010 में रु.25.00 लाख ऋण मंजूर किया गया था। खाते में लेन-देन बहुत अच्छा था और ऋण राशि का पूरा उपयोग किया जा रहा था। खाते के परिचालन और फर्म के वित्तीय परिणामों को देखते हुये बैंक ने ऋण राशि की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था। लोलो इंटरप्राइजेस के मालिक श्री मलिक पठान थे। वे मालवानी इलाके में सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे तथा एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के टिकट पर स्थानीय पार्षद का चुनाव लड़कर हार चुके थे। उनका जींस पैंट बनाने का कारख़ाना था जिसके लिए यह ऋण मंजूर किया गया था। खाते में जो सम्पार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) थी वह एक फ्लैट था और इसी मालवानी के म्हाडा कालोनी की एक बिल्डिंग में चौथे महले पर स्थित था। चूंकि मैं उस इलाके में था तो उस बिल्डिंग में चला गया और उस फ्लैट के दरवाजे पर पहुँच गया। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा था। मैं चौथे महले से नीचे उतर आया और दरबान से मलिक पठान के बारे में पूछताछ की। दरबान ने बताया कि करीब शाम 4.00 बजे मैडम बोरिबली गई हैं और पठान साहब दो दिन से बाहर गए हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं था क्योंकि बिना बताए जाने पर अक्सर लोग मिलते नहीं थे। मैं बिल्डिंग से बाहर आ गया और बिल्डिंग के सामने पान की दुकान पर खड़ा हो गया। वहीं हमारी शाखा का एक ग्राहक मिल गया जिससे मैं बातचीत करने लगा।

हमारी बातचीत सुनकर पानवाला भी हमारी बातचीत में शामिल हो गया। उसे एक फ्लैट खरीदने के लिए आवास ऋण चाहिए था। एक बैंकर को अपनी दुकान पर आया देखकर वह खुश हो गया और एक नया गाहक पाने की आशा में मैं खुश हो गया। मैंने देखा कि पानवाले का व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार ग्राहकों की आवाजाही है। उसे एक मिनट की भी फुरसत नहीं है। उसके हाथ काम करते जा रहे हैं। जितनी

तेजी से उसके हाथ चल रहे हैं उतनी ही तेजी से उसकी जबान भी चल रही है। समस्या यह थी कि वह आयकर विवरणी नहीं जमा करता था। उसके पास उसकी आय का कोई सबूत नहीं था। अचानक मैंने पूछ लिया कि परिवार का कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा हो तो प्रबन्धक के रूप में मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने बताया कि उसका बेटा मुंबई के कालेज में पढ़ाता है। मैंने उसे सलाह दी कि बेटे के साथ वह शाखा में आ जाये।

चलते चलते मैंने पूछ लिया कि वह फ्लैट कहाँ खरीद रहा है। उससे इस सवाल का जवाब सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसने बताया कि सामने वाली बिल्डिंग में चौथे महले पर एक फ्लैट है जिस पर राष्ट्रीय बैंक ने ऋण दिया है और ऋण खराब हो गया है। अब राष्ट्रीय बैंक उस फ्लैट की नीलामी कर रहा है। नीलामी 6 जनवरी 2013 को होनी है। अगर आप ऋण दे देंगे तो मेरा मकान तथा दुकान आमने सामने हो जाएँगे। मैं अवाक, और स्तब्ध। जनवरी की शाम, सामने से आती समुद्र की ठंडी ठंडी हवा और मैं पसीने से तर-बतर इस आशंका में कि कहीं वह फ्लैट हमारी शाखा में रखा गया बंधक फ्लैट तो नहीं है।

मैं वापस बिल्डिंग में गया और दरबान से गहन पूछताछ की। उसने बताया कि पठान साहब के फ्लैट को सील करने के लिए राष्ट्रीय बैंक वाले आए थे किन्तु मैडम ने फ्लैट खाली नहीं किया तो वे लोग चले गए।

मैं तुरंत वापस अपनी शाखा में आ गया। मैं इसकी पुष्टि करना चाहता था नीलाम होने वाला फ्लैट वही है जिस पर हमने भी ऋण दिया है। मैं अपने बैंक के पैनल वाली उन वैल्यूएसन एजेंसियों से बात करना शुरू किया जो राष्ट्रीय बैंक के पैनल पर भी थे। एक एजेंसी ने बताया कि उसने राष्ट्रीय बैंक के लिए वैल्यूएसन किया है और उस फ्लैट का पूरा पता भी दिया। अपने बैंक के प्रलेखों से मैंने पुष्टि कर ली कि फ्लैट वही है। अब मैं यह जानना चाहता था कि राष्ट्रीय बैंक की किस शाखा में यह खाता है और नीलामी की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय बैंक की एक शाखा में मेरा एक दोस्त काम करता था। बिना कुछ बताए मैंने उससे उसकी आस्ति प्रबंधन शाखा के मुख्य प्रबन्धक का मोबाइल नंबर लिया। मैं मुख्य प्रबन्धक से अपने ऋण खाते के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं यदि उन्हें यह पता

चल गया कि इंडियन बैंक ने भी उसी फ्लैट पर ऋण दिया है तो नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाकर, फ्लैट बेचकर अपना खाता बंद कर लेंगे और हमारा बैंक रह जाएगा। मैंने एक ग्राहक बनकर उनको फोन किया कि मुझे वह फ्लैट खरीदना है और मुझे फ्लैट तथा होने वाली नीलामी का पूरा ब्यौरा चाहिए । मुख्य प्रबन्धक ने अगले दिन शाखा में आकर जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया। चूंकि उनकी शाखा माहिम में थी अत: मैंने अपनी माहिम शाखा के मुख्य प्रबन्धक से अनुरोध किया कि वे उनकी शाखा में जाएँ और बिना कुछ बताए नीलामी का विवरण लेकर मुझे भेज दें। हमारे मुख्य प्रबन्धक ने अपने एक स्टाफ को भेज दिया और उसने जाकर बता दिया कि वह इंडियन बैंक से आया है। राष्ट्रीय बैंक के मुख्य प्रबन्धक ने कहा कि पहले ई एम डी भर दो फिर विवरण देंगे।

समय बड़ी तेजी से भाग रहा था। 3 जनवरी की दोपहर बीत रही थी। अभी तक नीलामी का विवरण नहीं मिला था। मैंने अपने पैनल वकील को पूरी कहानी बताई और ये भी कहा कि किसी तरह इस नीलामी पर न्यायालय से स्थगन लेना है। उनका कहना था कि बिना किसी आधार या ठोस सबूत के यदि मुकदमा दायर किया गया तो यह खारिज भी हो सकता है। उस फ्लैट पर राष्ट्रीय बैंक ने भी ऋण दिया है और खाता अनर्जक होने के बाद बंधक संपत्ति की नीलामी हो रही है, इसका कोई न कोई सबूत चाहिए। मैंने सोचा कि यदि 6 जनवरी को नीलामी होनी है तो करीब एक महीने पहले स्थानीय अखबार में नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ होगा। मुंबई में नीलामी के सारे विज्ञापन अंग्रेजी के "फ्री प्रेस जर्नल" और मराठी के

“नवाकाल” अखबार में छपते हैं।“फ्री प्रेस जर्नल” के महाप्रन्धक, विपणन को मैं व्यक्तिगतरूप से जानता था। मुझे यह भी मालूम था कि उनके पुस्तकालय में पुराने अखबार देखे जा सकते हैं। मैंने उन्हें पूरी बात बताते हुये उनसे पिछले 30 दिन के अखबार को देखने की अनुमति मांगी। उन्होने न केवल इसकी अनुमति दी बल्कि दो आदमियों को मेरे साथ लगा दिया। हमने “फ्री प्रेस जर्नल” के पुस्तकालय से संबन्धित अखबार ढूंढ निकाला। मैंने तुरंत अखबार की प्रतियाँ वकील के कार्यालय पहुंचाई और उसके पश्चात अंचल कार्यालय पहुँचकर अपने अंचल प्रबन्धक को खाते की जालसाजी और अब तक की कृत कार्रवाई से अवगत कराया।

4 जनवरी 2013 को वकील साहब ने हमारी फाइल तैयार कर दी और शाम होते होते राष्ट्रीय बैंक को नोटिस दे दी गई। 5 जनवरी 2013 को सुबह 11.00 बजे ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) में मुकदमा दाखिल हुआ। दोनों तरफ से खूब बहस हुई। माननीय न्यायाधीस महोदय ने आदेश पारित किया कि इस स्थिति में आकर नीलामी को रोका नहीं जा सकता किन्तु राष्ट्रीय बैंक को आदेश दिया कि नीलामी से प्राप्त राशि को अधिकरण में जमा करे और मुकदमे का फैसला आने के बाद नीलामी राशि का निर्णय किया जाएगा। फैसला हमारे हक में न होकर भी हमारे हक में था क्योंकि कम से कम हमारा दावा बंधक संपत्ति पर मान लिया गया था और बैंक को कुछ न कुछ मिलना था।

उधर नियत दिन पर होने वाली नीलामी असफल हो गई और इधर ग्राहक पर दबाव बनाने का मुझे समय मिल गया। अभी तक ग्राहक को मैंने खाते की जालसाजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उसे 7 जनवरी 2013 को शाखा में बुलाया और बिना किसी भूमिका के डी आर टी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उसके ऊपर जालसाजी का आरोप लगाया। मैंने उसे यह भी बताया कि राष्ट्रीय बैंक से ऋण पहले लिया गया है और हमारे बैंक से बाद में। इसलिए जालसाजी हमारे बैंक से की गई है। मैंने धमकी दी कि यदि उसने हमारे बैंक का पैसा तुरंत वापस नहीं दिया तो बैंक उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करेगा।

मैंने अपनी शाखा से ही मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ निरीक्षक को आवास ऋण दिया था। मैंने इस संबंध में उनसे मदद मांगी।

उन्होंने 8 जनवरी की रात को पठान को मालवानी पुलिस स्टेशन में बुलवा लिया। रात भर उसे वहीं बैठाये रखा और अल-सुबह पुलिसिया हाथ का उदाहरण भी दिखाया। पठान के लिखित आश्वासन के बाद उसे घर जाने दिया गया। 9 जनवरी 2013 को सुबह 10.00 वह हमारी शाखा में आया और हाथ जोड़कर बोला कि “मैं भले ही राष्ट्रीय बैंक का पैसा वापस न कर पाऊँ किन्तु इंडियन बैंक का पाई-पाई चुका दूँगा, मुझे एक महीने का समय दे दीजिये और पुलिस का चक्कर बंद करवा दीजिये।“ मैंने इस आशय का उससे पत्र लिया और साथ मे पूर्व दिनांकित चेक (पी डी सी)। मैंने उसे चेतावनी दी कि यदि कोई चेक बिना भुगतान के वापस आया तो मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होऊँगा।

यहाँ यह बताते हुये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महीने के स्थान पर दो महीने में बैंक का पूरा पैसा मूल, ब्याज और अन्य विधिक खर्चों के साथ वापस मिल गया।

यह सब हो सका प्रत्युत्पन्नमति से लिए गए तुरंत निर्णय और उचित समय पर उचित व्यक्तियों के सहयोग से उचित कार्रवाई के कारण।

(गोपनीयता बनाये रखने के लिए बैंक का नाम, खाते का नाम और मालिक का नाम बदल दिया गया है।)

डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

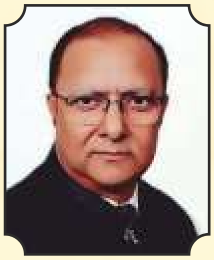

इंडियन बैंक के 113 वें स्थापना दिवस समारोह की झलकियाँ

वेब होस्टिंग - परिचय एवं प्रकार

वेब होस्टिंग सेवा एक प्रकार की इंटरनेट होस्टिंग सेवा है जो व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देती है। वेब होस्ट वे कंपनियाँ हैं जो क्लाइंट के उपयोग के लिए स्वामित्व वाले या लीज़ पर दिए गए सर्वर पर स्थान प्रदान करती हैं, साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं।

सीधे और आसान शब्दों में वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी संस्था या फिर किसी व्यक्ति को वह सुविधा प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सकें। वेब होस्ट या वेब होस्टिंग सर्विस एक व्यापार है जो इंटरनेट के द्वारा प्रदर्शित होने वाली वेबसाइट या वेब पेज के लिए आवश्यक तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

अतः वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी संस्था और व्यक्ति को इंटरनेट पर वेब पेज पोस्ट करने की अनुमति देती है और इंटरनेट पर देखे जाने जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज के लिए तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

वेब होस्टिंग कैसे कार्य करती है?

होस्टिंग सेवा आपकी वेबसाइट फाइल्स को वेब सर्वर (उच्च स्तरीय कम्प्यूटर्स) पर एकत्रित कर देती है। जब कोई भी आपकी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए उसका address या URL अपने ब्राउज़र में लिखता है, तब ये वेब सर्वर उस ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके कंप्यूटर तक आपकी वेबसाइट फाइल्स की एक कॉपी पंहुचा देती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट खुल जाती है। इंटरनेट का उपयोग करने वाला व्यक्ति जब वेबसाइट देखना चाहता है तो उसे ब्राउज़र में डोमेन या वेबसाइट एड्रेस टाइप करना होता है, इसके पश्चात उसका कम्प्यूटर उपयोगकर्ता के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और ब्राउज़र के माध्यम से वेब पेज उपयोगकर्ता के कम्प्यूटर तक पहुँच जाता है।

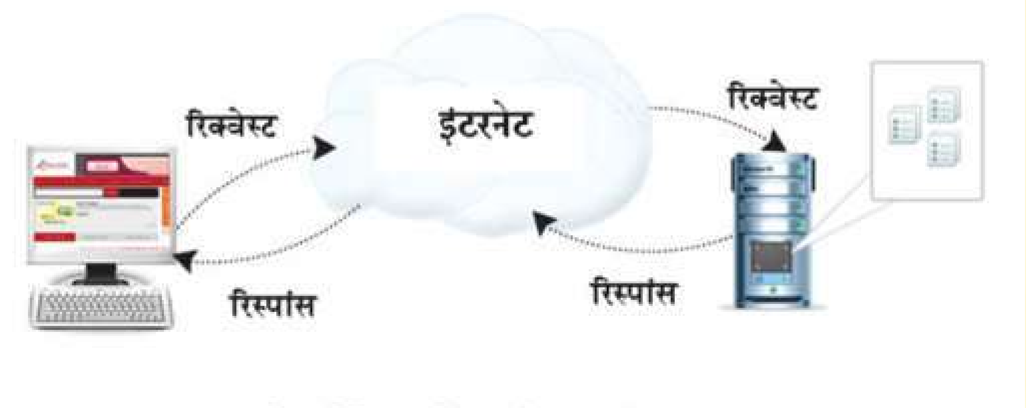

वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली

वेब होस्टिंग सेवाओं के प्रकारः -

आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब होस्टिंगउद्योग में विभिन्न प्रकार की होस्टिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। वेब होस्टिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपको किस तरह की वेबसाइट की आवश्यकता है, किस तरह के सर्वर की आवश्यकता है, आपका बजट क्या है और कौन सा वेब होस्ट आपके लिए फायदेमंद है। आपको किस प्रकार की होस्टिंग लेनी चाहिए ये आपकी वेबसाइट की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है क्योंकि हर बिज़नेस/वेबसाइट की जरूरतें अलग- अलग होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही सही होस्टिंग का चुनाव करना चाहिए।

आइए, वेब होस्टिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं –

- **वेबसाइट बिल्डर्स (Website Builders) :** वेबसाइट बिल्डर सेवा एक ऐसी होस्टिंग सेवा है जो उन नए उपयोगकर्ताओं (Beginners) की मदद करता है जो

वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई तकनीकी कौशल एवं जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। वेबसाइट बिल्डर आपको ऑनलाइन ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस के साथ आपको अपनी वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के आपको वेब होस्ट करने का मौका देता है।

- शेयर्ड होस्टिंग (Shared Hosting) : यह एक हॉस्टल में रहने के समान है। जिस प्रकार हॉस्टल में आप बहुतों के संग अपने रहने का स्थान बांटते हैं, उसी प्रकार इस होस्टिंग प्रकार के अंतर्गत एक फिजिकल सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट की मेज़बानी या होस्टिंग की जाती है। शेयर्ड सर्वर इन सभी वेबसाइट को स्थान या वेब स्पेस (web space) और CPU, RAM जैसे संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। शेयर्ड होस्टिंग सेवाएँ अन्य होस्टिंग सेवाओं की तुलना में किफायती होती है। अतः अगर आप एक सीमित बजट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो शेयर्ड होस्टिंग आपके लिए बढ़िया विकल्प है।

- डेडिकेटेड होस्टिंग (Dedicated Hosting) : यह एक बंगले में रहने के समान है, जहाँ आपके पास संपूर्ण नियंत्रण तो है और आप सभी प्रकार के रख रखाव का खर्च भी स्वयं ही उठाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग आपको अपने सर्वर पर पूरा नियंत्रण देती है, जहां आपको प्रबंधन के लिए रूट एक्सेस (Root access) प्रदान किया जाता है। इस होस्टिंग में एक और खास बात है कि इसमें आपके सर्वर और संसाधन का उपयोग दूसरों के लिए प्रतिबंधित होता है,इसका उपयोग सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसीलिए डेडिकेटेड होस्टिंग में सुरक्षा स्तर उच्चतम होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग अपने उच्च प्रदर्शन,सुरक्षा और नियंत्रण जैसे फायदों के कारणवश ई-व्यापार (E-commerce), गोपनीय और संवेदनशील तथ्यों वाली, बड़े डेटाबेस एवं उच्च यातायात वाली साइटों के लिए आदर्श होस्टिंग विकल्प मानी जाती है।अतः अपने बिज़नेस की आवश्यकताओं को पहचानें, निर्धारित करें और उनके अनुसार सही वेब होस्टिंग का चुनाव करें।

- वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग (Virtual Private Server Hosting) : यह एक फ्लैट या अपार्टमेंट में रहने के समान है, जहाँ भले ही आप अपने अपार्टमेंट का प्रवेश द्वार (Entrance Gate) सबके साथ शेयर करते हैं पर अपने घर पर एक अन्य द्वार होने से आपको अपनी निजता भी प्राप्त होती है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, वर्चुअलाइजेशन (Virtualization) तकनीक पर आधारित है, जिसके अंतर्गत एक भौतिक सर्वर को कई विभिन्न सर्वर में विभाजित किया जाता है, परिणामस्वरूप एक ही सर्वर पर होते हुए भी बाकी वेबसाइट आपके हिस्से के वेब स्पेस और संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस कारण यह होस्टिंग आपको निजता और सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करती है। अतः अगर आप कम लागत में डेडिकेटेड सर्वर जैसी विशेषताओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग का चुनाव कर सकते हैं।

- क्लाउड होस्टिंग (Cloud Hosting) : क्लाउड होस्टिंग इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें समयान्तराल न के बराबर होता है। इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपको सर्वर्स का एक क्लस्टर प्रदान करता है और आपकी फाइल्स और रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वर्स पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से आपको सर्विसेज देने में असमर्थ होगा तो आपकी साइट का सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड सर्वर पर स्वतः ही भेज दिया

जाता है। इसके अनेक फायदे हैं – सर्वर फेल होने की स्थिति में भी ग्राहकों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। चूँकि आप केवल उन संसाधनों का भुगतान करते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह किफ़ायती भी होता है।

- **वेब होस्टिंग पैकेज का चयन कैसे करें ?**

- डिस्क स्पेस या स्टोरेज क्षमता के आधार पर वेब होस्टिंग पैकेज का चयन करें। वेब होस्टिंग पैकेज का चयन करने से पूर्व यह जांच कर लें कि उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है। ध्यान रहे जिस पैकेज की स्टोरेज क्षमता जितनी अधिक होगी वह पैकेज उतना ही प्रभावी होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अनियमित स्टोरेज वाले वेब होस्टिंग पैकेज का चयन करें।

- वेब होस्टिंग पैकेज का चयन करते समय उसके बैंडविड्थ का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। बैंडविड्थ वह होती है जो यह दर्शाती है कि आपकी वेबसाइट ने 1 सेकेंड में कितना डाटा एक्सेस किया है। ऐसे में यदि आपके वेबसाइट की बैंडविड्थ कम है तो जब कभी भी कोई उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट को खोलता है तो उसमें अधिक रुकावटें उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में वेबसाइट के डाउन होने का खतरा बना रहता है।

- उपरोक्त के अलावा आपको अपने वेबसाइट के अपटाइम एवं डाउनटाइम का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि आपकी वेबसाइट 18 घंटे ऑनलाइन रहती है यानि यदि कोई उपयोगकर्ता जो आपकी वेबसाइट को 18 घंटे से खोले हुये है तो इसे आपकी वेबसाइट का अपटाइम कहेंगे और यदि किसी कारणवश उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट खोलने में सक्षम नहीं है तो इसे आपकी वेबसाइट का डाउनटाइम कहेंगे। आपको ऐसे वेब होस्टिंग पैकेज का चुनाव करना चाहिए जो आपकी वेबसाइट एवं आपके ग्राहकों को 24 घंटे सेवा प्रदान करे।

- चूँकि वेब होस्टिंग सेवाएं अपने ग्राहकों से संबंधित वेबसाइट की मेजबानी करती हैं, इसलिए इनकी ऑनलाइन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब कोई ग्राहक वेब होस्टिंग सेवा का उपयोग करने के लिए सहमत होता है, तो वे अपनी साइट की सुरक्षा का नियंत्रण उस कंपनी को सौंप देते हैं जो साइट की मेजबानी कर रही होती है। एक भावी ग्राहक के लिए सुरक्षा का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेब होस्टिंग सर्वर पर विभिन्न तरीकों से दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं द्वारा हमला किया जा सकता है, जिसमें होस्ट की गई वेबसाइट पर मैलवेयर या दुर्भावनापूर्ण कोड अपलोड करना शामिल है। ये हमले अलग-अलग कारणों से किए जा सकते हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी करना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक (डीडीओएस) या स्पैमिंग शामिल है। अतः वेब होस्टिंग पैकेज का चयन करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि हम सुरक्षा संबंधी सावधानियों पर भी ध्यानाकर्षित करें।

बाजार में बहुत सी ऐसी कंपनियाँ मौजूद हैं जो वेब होस्टिंग सेवाएँ प्रदान करती है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इन सेवाओं का चयन कर इनका लाभ ले सकते हैं। किसी भी वेब होस्टिंग सेवा का लाभ लेने के पूर्व आपको यह ध्यान देना अनिवार्य है कि आपके ज़्यादातर ग्राहक किस देश से हैं या फिर किस क्षेत्र से हैं। यदि आपके ज़्यादातर ग्राहक भारत से ही हैं तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप भारत की ही किसी वेब होस्टिंग कंपनी की सेवाओं का लाभ लें। क्योंकि यदि आप कहीं बाहर की वेब होस्टिंग कंपनी की सेवाएँ लेते हैं तो उस कंपनी का सर्वर आपके पहुँच से बहुत दूर होगा जिसके कारण आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने में अधिक समय लगेगा।

एक ग्राहक को किस तरह की होस्टिंग सेवा का उपयोग करना है, यह चुनने के लिए उसे अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना होगा। अतः उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छे वेब होस्टिंग पैकेज का चयन किया जा सकता है।

चन्दन कुमार शर्मा
सहायक प्रबन्धक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

वैश्विक मंदी और विश्व

वर्तमान दौर में आर्थिक मंदी सबसे चर्चित विषयों में शुमार है। आज लगभग सभी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और इससे उबरने के उपाय ढूंढने में लगे हुए हैं। सभी के लिए यह एक गंभीर समस्या है। सभी यह जानने में लगे हैं कि आर्थिक मंदी है क्या? इसका मूल कारण क्या होता है? इसका देश समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मंदी से हर संस्था और हर व्यक्ति प्रभावित होता है।

यदि हम आर्थिक मंदी की परिभाषा की बात करें तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम तीन महीने डाउन ग्रोथ में हो तो इस स्थिति को वैश्विक आर्थिक मन्दी कहते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनोमिक रिसर्च, यू एस के अनुसार "देश भर की आर्थिक गतिविधियों में ऐसी गिरावट जो कई माह तक चले और जो सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक व्यक्तिगत आय, कृषितर रोजगार औद्योगिक उत्पादन तथा थोक और खुदरा बिक्री में कमी के रूप में परिलक्षित हो।" तो यह स्थिति आर्थिक मंदी की ओर इसारा करती है। अतः इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि लगातार दो तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद में यदि गिरावट बनी रहती है या वास्तविक आर्थिक संवृद्धि नकारात्मक बनी रहे तो यह माना जाए कि हम आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक संकट का मूल कारण नई तकनीकों के अविष्कार में ठहराव है। पिछले 200 वर्षों में स्टीम इंजन के बाद बिजली, हवाईजहाज, टेलीफोन आदि तमाम आविष्कार हुए हैं। वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट का मूल कारण नई तकनीकों के अविष्कार में ठहराव है।

मंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है यह लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना देती है। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुई थी। इस दिन मंगलवार था।

इसलिए इसे काला मंगलवार भी कहा जाता है। इसके बाद अगले एक दशक तक दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक गतिविधियां ठप्प रहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया।

मांग में भारी कमी हो गई और औद्योगिक विकास के पहिये जाम हो गए। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कृषि उत्पादन में भी 60 फीसदी तक की कमी हो गई। एक दशक तक हाहाकार मचाने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत के साथ ही इसका असर कम होने लगा।

अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच हो रही कारोबारी जंग ने कई छोटे देशों को मुश्किल में डाल दिया है, इससे निवेशकों के साथ ही कंपनियों में भी घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि अगले कुछ महीनों में आर्थिक मंदी आ जाएगी, हालांकि भारत इस मंदी की चपेट से थोड़ा दूर रहेगा।

दरअसल मंदी के जिम्मेदार कारकों में निजी खपत में गिरावट, निश्चित निवेश में मामूली बढ़ोत्तरी, रियल एस्टेट सेक्टर बदहाल, ऑटो सेक्टर में हाहाकार, बैंकों के एनपीए में लगातार वृद्धि वगैरह शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट के गंभीर संकेत चिंताजनक होता है। मांग और पूर्ति के बीच लगातार कम होता अंतर मंदी की ओर संकेत करता है।

लोग बैंकों के कर्ज चुकाना बंद कर देते हैं जिससे बैंकिंग ढांचा चरमरा जाता है। कर्ज मिलने बंद हो जाते हैं, लोग बैंकों में जमा पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे कई बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं।

सूखा का असर भी मंदी पर पड़ता है। सूखे की वजह से कृषि बर्बाद हो जाती है जिससे कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी आर्थिक संकट उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। किसी भी देश की राजकोषकीय घाटा भी उस देश की अर्थ व्यवस्था को सुस्त करने का कारण हो सकती है। कई बार यह भी देखा जाता है की आयात के मुक़ाबले निर्यात में भी गिरवाट से विदेशी मुद्रा कोष में कमी आती है और देश की अर्थ व्यवस्था को मंद करती चली जाती है।

बेरोजगारी, आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव रोजगार पर पड़ता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के कारण मांग एवं उत्पादन में भारी गिरावट आने से बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। आर्थिक मंदी पर नज़र रखने वालों के लिये सबसे बड़ी चिंता का विषय देश में रोज़गार की स्थिति होती है। आर्थिक मंदी के कारण सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है जिसके परणामस्वरूप कई लोगों की छटनी कर उन्हें काम से हटा दिया जाता है और नवीन भर्तियाँ लगभग समाप्त हो जाती हैं। इसका स्पष्ट प्रभाव देश की जीडीपी पर देखा जा सकता है। आम आदमी का जीवन स्तर काफी नीचे चला जाता है।

मंदी का भयानक दुष्परिणाम व्यावसायिक लाभ पर पड़ता है। जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन की दर में काफी गिरावट देखने को मिलती है। शेयर बाजार में गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि लोग अपने-अपने खर्चो में कमी कर देते हैं जिससे मांग प्रभावित होती है। मंदी के कारण विभिन्न जरूरत के उत्पादों की मांग में काफी कमी होने से इसका सीधा असर इसके उत्पादन पर पड़ता है। सबसे ज्यादा मंदी कहें या फिर आर्थिक सुस्ती रियल एस्टेट, स्टील टेलिकॉम, औटोमोटिव, पावर, बैंकिंग क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

मंदी का असर आवास निर्माण की दर में कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। रोजगार न मिलने या मौजूदा रोजगार से निकाले जाने या उनके वेतन या वेतन भत्ते में कटौती के कारण लोगों का जीवन स्तर में काफी बदलाव देखने को मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की मांग में काफी कमी आ जाती है। जमीन जायदाद की मांग में भारी कमी या मांग नहीं रह जाती है जिससे रियल एस्टेट को काफी नुकसान उठाना पड़ता है जिसका स्पष्ट प्रभाव अर्थ व्यवस्था की नकारात्मकता पर देखा जा सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुस्ती के कारण ऋण की मांग में कमी या लगभग न के बराबर होने से वित्तीय संस्थाओं के समक्ष काफी गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा दिये गए ऋण की वसूली भी नहीं होने के कारण बैंको का दिवालियापन जैसी स्थिति उभर कर सामने आ जाती है।

आज के समय में मंदी बहुत ही चर्चित एवं गंभीर विषय है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करता है। विनिर्माण क्षेत्र में पर्याप्त लचीलापन होने के कारण झटकों को सहने और उनसे उबरने की शक्ति है इसमें। रोजगार के अतिरिक्त सृजन करने की अपनी क्षमता के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अतिशेष श्रमिकों को रोजगार देने में भी यह क्षेत्र समर्थ हो जाता है। जिससे समाज में भीषण स्थिति पैदा हो जाती है।मंदी के कारण लोगों को सामाजिक स्तर काफी नीचे गिरने लगता है।

आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। बैंकों को भी नकदी की संकट का सामना करना पड़ता है। जिससे बाजार में भी नकदी की कमी हो जाती है। मंदी के समय में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं नकदी का अभाव एवं आसान दरों पर धन की अनुपलब्धता के कारण ऋण देने के कम इच्छुक होते हैं। ऐसे संकट के समय में प्रायः सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं वैयक्तिक व्यवसायिक एवं गैर वैयक्तिक व्यवसायिक ऋण को देने बंद कर देते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव बैंकिंग लाभ पर भी पड़ता है।

मंदी का दुष्प्रभाव स्वतः चलने वाली स्थिति होती है। अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो या चलता रहता है और यह

निरंतर बना रहता है जिससे निकलना लगभग आसान नहीं होता है । इसलिए यह अनिवार्य है कि इस मंदी से उभरने के लिए सुनियोजित उपाय किया जाए। मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे रोजगार में वृद्धि हो, राजकोषीय नीति में बदलाव के जरिये मंदी से निपटने का प्रयास करें। कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि तत्काल में बड़े रोजगार सृजन का अवसर उत्पन्न न हो पा रहा हो तो गड्ढे खुदवाकर और उन्हें फिर से भरवाने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और वे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके व्यावसायिक क्रियाओं में जान फूंक सकें। इसके अलावा सरकार और भी अन्य कदम उठा सकती है जैसे :- करों में छूट देना ताकि लोगों के पास खर्च के लिए अतिरिक्त पैसे हो, कम्पनी करों में छूट देना ताकि उत्पादन लागत कम हो सके।निर्यात उद्योगों के लिए सहायता राशि प्रदान करना, अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध लगाना या उनमें कमी करना बैंकों द्वारा कम दर पर लोगों को ऋण मुहैया कराना तथा नई तकनीक, नए आविष्कार की ओर ध्यान केन्द्रित करना, सड़क, परिवहन, बांध, आदि का निर्माण करवाना ताकि विकास के साथ-साथ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो और मंदी के दुश्चक्र से बचा जा सके।

यह निर्बाध रूप से सत्य है कि मंदी के प्रकोप से बचा नहीं जा सकता लेकिन यदि अपनी नीतियों और योजनाओं को सही समय पर समझ कर उनमें परिवर्तन करें तो इससे शीघ्र ही उभरने या फिर पुनः सुस्त होते जा रहे आर्थिक विकास को गति दिया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को पुनः सकारात्मक दिशा प्रदान किया जा सकता है।

श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

अंधा कानून

जिस देश में वन्दनीय है बेटियाँ
वहां उनका दर्जा और भी ऊंचा होता
यदि कानून हमारा अंधा न होता।

जिस देश में एक पशु को माना जाता है माता
वहां एक औरत का सम्मान भी नहीं हो पाता
वहां उनका दर्जा और भी ऊंचा होता
यदि कानून हमारा अंधा न होता।

जिस देश को महाशक्ति बनाने की बात होती है
वहां शक्ति का रूप बेटियों की आवाज़ भी नहीं होती है
वहां उनका दर्जा और भी ऊँचा होता
यदि कानून हमारा अंधा न होता। -

जिस देश की सबसे प्राचीन है सभ्यता
वहां बेटियों को एक सभ्य समाज भी नहीं मिलाता
वहां उनका दर्जा और भी ऊँचा होता
यदि कानून हमारा अंधा न होता।

आकांक्षा सहाय
सहायक प्रबंधक
अंचल कार्यालय
लखनऊ

हिन्दी माह 2019 के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में कार्यपालकों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में आयोजित हिन्दी माह 2019 पुरस्कार वितरण समारोह

ऋण निगरानी में सुधार लाने के लिए तकनीक का उपयोग

अनर्जक आस्ति (एनपीए) हमारे देश में बैंकिंग उद्योग के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में उभरा है, जो प्रभावित बैंकों की निरंतरता और दृढता पर चिंताजनक संकेत दे रहा है। एनपीए का उच्च स्तर बड़ी संख्या में क्रेडिट चूक की उच्च संभावना का संकेत देता है जो बैंकों के लाभप्रदता और मालियत को प्रभावित करता है और आस्तियों के मूल्य को भी नष्ट कर देता है। एनपीए की समस्या केवल बैंकों को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। यदि कुछ मापदण्डों द्वारा एनपीए संबंधी संख्याओं का पर्याप्त ज्ञान और भविष्यवाणी सही समय पर हो जाए तो फिर हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तकनीक द्वारा आज हमारे लिए यह कार्य आसान होता जा रहा है। आज के तकनीकी विकास ने जीवन के हर विभाग में प्रवेश किया है और यह बड़े हर्ष की बात है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ने तकनीक की उपयोगिता और आवश्यकता को समझा है और इसे बड़े ही खुले दिल से अपनाया है।

आज हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री कोर बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सूचना कियॉस्क, एन ई एफ टी, आरटीजीएस, ईसीएस इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से करते हुए अपने ग्राहकों को इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान करा रही है। यही नहीं इन तकनीकों का उपयोग करने में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखते हुए पासवर्ड, ओटीपी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिकरण जैसी नवीनतम तकनीक का व्यवहार कर रही हैं। जिससे डेटा की गोपनीयता, समग्रता एवं उपलब्धता बनी रहे।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन तकनीकों का सही उपयोग हम बैंकिंग इंडस्ट्री की ज्वलंत समस्याओं के निदान के लिए कर पा रहे हैं या नहीं? इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री की अत्यंत ज्वलंत समस्या इसकी बढ़ती हुई खराब आस्तियां अर्थात एनपीए है। हर बैंक अपने तौर पर प्रयासरत है कि ऋण का खराब आस्तियों की ओर फिसलन (Slippage) कम हो और आस्तियां अच्छी बनी रहें।

प्रत्येक बैंक ने इसके लिए ऋण निगरानी (Monitoring) विभाग बना रखे हैं कि ताकि समय रहते ही शाखाओं को ऋण फिसलन अथवा खराब होनेवाली आस्तियों की सूचना दी जा सके। अब प्रश्न फिर वही उठता है कि क्या यह विभाग या शाखाएं ऋण निगरानी में सुधार लाने के लिए तकनीक का पर्याप्त उपयोग कर पा रहे हैं ? इसका जवाब हमें कहीं न कहीं ऋणात्मक ही मिलेगा। फिर हम ऋण निगरानी में सुधार लाने के लिए तकनीक का किस प्रकार पर्याप्त उपयोग करें।

हमारे विचार से निम्नलिखित *कदम उठाने चाहिए :*

1. तकनीक द्वारा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएं।
2. प्रभावी एनपीए प्रबन्धन में तकनीक का उपयोग।
3. उपयुक्त एवं पूर्ण रूपेण डेटा वेयर हाउस की स्थापना की जानी चाहिए।
4. नई तकनीक जैसे एसएमएस, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग द्वारा ग्राहक से संपर्क स्थापित करना और इसे बनाए रखना।
5. स्टाफ ट्रेनिंग एवं कार्यशाला की लगातार व्यवस्था।
6. ऋण संबंधी सरकारी नीतियों एवं आरबीआई के दिशा निर्देशों को सिस्टम में सम्मिलित करना।
7. ग्राहक द्वारा लाए गए ऋण संबंधी परियोजना का तकनीक द्वारा विश्लेषण।

अब हम उपर्युक्त बिन्दुओं को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं।

1. तकनीक द्वारा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएं

हमारे पास वर्तमान में उपस्थित पूरे ऋण संविभाग एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घ कालीन योजना होनी चाहिए। जबकि अल्प कालीन योजनाओं में केवल वर्तमान वित्त वर्ष में ऋण संविभाग को लक्ष्य में रखकर योजना बनानी चाहिए। हम यह अनुभव कर रहे हैं कि इन दिनों अल्प कालीन योजनाओं पर ही अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो हानिकारक है।

तकनीक द्वारा दीर्घकालीन योजना बनाने में हमें बहुत कम प्रयास करना होगा और इनका परिणाम भी बेहतर होगा। क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम में पिछले कई वर्षों के डेटा हैं। इनका विश्लेषण करके हमें भविष्य में ऋण संविभाग की प्रवृत्ति का सही अनुमान लग सकता है।

2. प्रभावी एनपीए प्रबन्धन में तकनीक का उपयोग।

अच्छी अल्प एवं दीर्घकालीन योजनाओं के बाद प्रभावी एनपीए प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए हम तकनीक का उपयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। जैसे कि आरबीआई के आदर्श आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदण्ड (Income Recognition and Asset Classification Norms) को सिस्टम में लागू करना। इसके द्वारा हमें संभावित एनपीए की जानकारी समय रहते ही मिल जाएगी और हमारी शाखाएं अनुवर्तन कर ऋण के किस्तों की वसूली कर पाएंगी और ऋण निगरानी करते हुए सुधार के लिए कदम उठा पाएंगी।

3. उपयुक्त एवं पूर्ण रूपेण डेटा वेयर हाउस का प्रयोग।

आज यह चर्चा का विषय है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में "कोर बैंकिंग समाधान" के बाद क्या? यह वास्तविकता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक, देश के करोड़ों लोगों के विषय में उपलब्ध है। यह डेटा हमें लोगों के खाते खोलते समय, उन्हें ऋण देते समय अथवा ग्राहकों को विभिन्न तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कर्म में प्राप्त होते हैं। क्या हम इन बिग डेटा का उपयोग ऋणनिगरानी में सुधार हेतु नहीं कर सकते हैं ? और यदि कर सकते हैं तो किस तरह ?

इससे पहले कि हम इन डेटा के उपयोग की बात करें हमें पहले यह देखना होगा कि क्या कम्प्यूटर सिस्टम में जो डेटा हमने डाला है, वह ग्राहकों के विषय में पूर्ण एवं सही सूचनाएँ दे रहा है और क्या आधी अधूरी तथा गलत सूचनाएँ भी इनमें शामिल हैं। हम पाएंगे कि इनमें अनेक त्रुटियाँ हैं और वह भी केवल 50 प्रतिशत ही उपलब्ध हैं जिन्हें पूर्ण करने एवं ठीक करने (cleaning) की आवश्यकता है।

इसी के साथ-साथ हमें एक पर्याप्त डेटा वेयर हाउस की अत्यंत आवश्यकता है, आज हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस हैं उनसे हमें अपने ग्राहकों के बारे में केवल परिचालन ज्ञान मिल पा रहा है।

अच्छे डेटा वेयर हाउस के बाद में आवश्यकता है बढ़िया विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर की, जिसके द्वारा हम ग्राहकों के विषय में न केवल वर्तमान बल्कि प्रवृत्ति को देखते हुए भविष्य में किसी खाते के बारे में जान पाएंगे।

आज ऋण निगरानी के लिए हमें ग्राहक संबंध प्रबंधन पर परिचालनगत (operational) जानकारी नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक (analytical) जानकारी की आवश्यकता है। जिसे हम विश्लेषणात्मक ग्राहक संबंध प्रबन्धन (analytical customer relationship) कहते हैं।

इसके द्वारा हम अपनी शाखाओं को प्रात: उनके कम्प्यूटर के डैशबोर्ड पर विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करा पाएंगे जैसे ;

1. अगले 90 दिनों में कितनी शाखाओं के खाते एनपीए की ओर फिसल सकते हैं।

2. आंचलिक कार्यालयों को यह बता पाएं कि अगले 60 दिनों में आपकी कितनी शाखाओं के उक्त खाते एनपीए में जा सकते हैं।

3. तथा प्रधान कार्यालय को 30 दिनों में फिसलने वाले बड़े खातों की जानकारी दे सकते हैं।

इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि शाखाएँ, आंचलिक कार्यालय या प्रधान कार्यालय उपयुक्त कदम न उठाएं और इनका सकरात्मक परिणाम प्राप्त न हो।

यहीं नहीं इस विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर या उपकरण की

सहायता से हम शाखाओं को यह भी अवगत करा सकते हैं कि जिन ग्राहकों के ऋण खाते खराब हो चुके हैं उनके जमा खाते किन-किन दूसरी शाखाओं में हैं और उक्त ग्राहक का वर्तमान पता क्या है जिससे कि बैंक उनसे संपर्क कर सकें एवं जरूरत पड़ने पर सेट ऑफ का अधिकार लागू कर सके।

विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करके हम प्रधान कार्यालय से लेकर शाखाओं तक को न केवल ऋण फिसलन की जानकारी से अवगत करा सकते हैं बल्कि खातों के फिसलन के विशिष्ट कारणों की जानकारी भी दे सकते हैं जैसे;

1. ओवरड्रान के कारण - साथ में ओवरड्रॉन राशि एवं महत्वपूर्ण राशि

2. परकोलेशन के कारण - साथ में वह खाता संख्या जिसके कारण ग्राहक के सारे खाते फिसल रहे हैं।

3. स्टाक विवरणी पुरानी होने एवं समीक्षा अपूर्ण होने के कारण।

4. खाते में अपर्याप्त जमा के कारण

5. सिस्टम में डेटा डालने में त्रुटि के कारण

6. ग्राहक का सिस्टम में डाला हुआ मोबाइल नम्बर, उपलब्ध ई मेल आईडी एवं पता जिसके द्वारा ग्राहक से संपर्क किया जा सके।

यदि शाखाओं को किसी ऋण खाते के संबंध में उपर्युक्त विशिष्ट जानकारियां समय रहते ही मिल जाएंगी तो कर्मचारी अथवा अधिकारी उसके लक्ष्य पर कार्य करेंगे और ऋण खातों की गुणवत्ता में निश्चित ही सुधार आएगा।

हम इन तकनीकों द्वारा शाखाओं को यह भी अवगत करा सकते हैं कि आपके उक्त महत्वपूर्ण ग्राहकों का इन दिनों शाखा से संपर्क कम हुआ है जिससे कि कर्मचारी या अधिकारी तुरंत उनसे संपर्क स्थापित करें और संबंध बना रहे।

4. नई तकनीक जैसे "एसएमएस" "ईमेल" "सोशल नेटवर्किंग" द्वारा ग्राहक से सम्पर्क स्थापित करना और इसे बनाए रखना

हम सब यह जानते समझते और अनुभव करते हैं कि खराब आस्तियों के लिए हमारा ग्राहकों के साथ सही संचार का ना होना भी एक बड़ा कारण है।

नई संचार तकनीक जैसे एसएमएस, ई मेल, सोशल नेटवर्किंग इत्यादि के द्वारा आज यह कार्य बहुत आसान है।

ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल भेजकर यह याद दिला सकते हैं कि आपकी अगली किस्त उक्त तिथि को देय है कृपया अपने सक्रिय जमा खाते में पर्याप्त राशि रखें। साथ ही यह लिखना न भूलें कि आप हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं।

5. स्टाफ ट्रेनिंग एवं कार्यशाला की लगातार व्यवस्था

ऋण निगरानी में सुधार लाने में तकनीक के उपयोग में बैंक के ट्रेनिंग कालेजों में लगातार कार्यशालाएं होनी चाहिए। इन कार्यशलाओं में स्टाफ को, बैंक में प्रचलित सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण देना होगा। विशेषकर ऋण संबंधी प्रशिक्षण, जिससे डेटा डालने में त्रुटि न हो और इसके ऋण खाते एनपीए न हों।

साथ ही स्टाफ सदस्यों को एनपीए संबंधी सरकारी नीतियों एवं आरबीआई के दिशानिर्देशों से भी अवगत कराना होगा।

6. ऋण संबंधी सरकारी नीतियों एवं आरबीआई के दिशा निर्देशों को सिस्टम में सम्मिलित करना।

हम कंप्यूटर के विषय में GIGO शब्द का प्राय: उपयोग करते हैं अर्थात गारबेज इन गारबेज आउट। यदि हम सिस्टम में सरकारी नीतियों एवं आरबीआई के दिशानिर्देशों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं करेंगे तो कंप्यूटर द्वारा हमें एनपीए की सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी और किसी समय तो यह गलत जानकारी विनाशकारी हो सकती है।

अर्थात् हमें किसी निश्चित समय पर यदि शाखाओं के ऋणों की गुणवत्ता या एनपीए की हालत इन दिशानिर्देशों के मुताबिक देखनी हो तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी इन दिशानिर्देशों का सही-सही समावेश होना चाहिए।

7. ग्राहक द्वारा लाए गए ऋण संबंधी परियोजना का तकनीक द्वारा विश्लेषण।

किसी संभावित ग्राहक द्वारा लाए गए परियोजना का हम तकनीक द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि विश्लेषणात्मक उपकरण बाजार की व्यवस्था और प्रवृत्ति का भी डेटा रखते हैं और सारे डेटा सैम्पल का विश्लेषण करने के बाद परिणाम देते हैं जब कि व्यक्तिगत रूप से यह (manually) मुमकिन नहीं है। हाँ इसमें 1 या 2 प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हम क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान की जा रही क्रेडिट इन्फार्मेशन रिपोर्ट की भी सहायता लेते हैं।

यदि हम इन तकनीकों का उपयोग करते हुए ऐसी परियोजनाओं को ही महत्व दें जो व्यवहार्य (viable) एवं तकनीकी आधार पर संभव (Technically Feasible) हों तो एनपीए की संभावना कम होगी और यदि हमारे इस विश्लेषण के बाद कोई परियोजना तकनीकी आधार पर संभव एवं व्यवहार्य न हो तो सिस्टम उसकी अस्वीकृति तुरंत कर दे, जिससे हमारे स्टाफ की भी सुरक्षा बनी रहेगी।

अत: तकनीक हमें हमारे ऋण खातों की निगरानी में मदद कर रही है एवं और भी अधिक कर सकती है। यदि हम उपर्युक्त बातों पर ध्यान दें और इस विषय में चिंतन और सोच जारी रखें तो निश्चित ही हमें सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे।

श्वेता गंगिरेड्डी
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद,
प्यासे ही तुम रह जाओगे, मेरे बिना ना जी पाओगे,
कब तक बर्बादी का मेरे, तुम तमाशा देखोगे,
संकट आएगा जब तुम पर, तुम मेरे बारे में सोचोगे।
संसार में रहने वालो को, मेरी जरूरत पड़ती है।
मेरी बर्बादी के कारण, मेरी उम्र भी घटती है।
ऐसा ना हो एक दिन मैं, इस दुनिया से चला जाऊं,
खत्म हो जाए खेल मेरा, लौट के फिर ना वापस आऊं।
पछताओगे- रोओगे तुम, नहीं बनेगी कोई बात,
सोचो-समझो करो फैसला, अब तो ये है तुम्हारे हाथ।
मेरे बिना इस दुनिया में, जीना सबका मुश्किल है,
अपनी नहीं भविष्य की सोचो, भविष्य भी इसमें शामिल है।
मुझे ग्रहण कर सभी जीव, अपनी प्यास बुझाते हैं।
कमी मेरी पड़ गई अगर तो, हर तरफ सूखे पड़ जाते हैं,
सतर्क हो जाओ बात मान लो, मेरी यही कहानी है।
करो फैसला मिलकर आज, मत करो मुझको बर्बाद,
इतना तो तुम रखो याद, जल है तो कल है।

सागर अरोड़ा
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, तिरुवण्णामलै

डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारत को आगे बढ़ाने के लिए

भारत में काफी पहले से ही विनिर्माण सेवाओं खुदरा और थोक खरीदारी अथवा वित्तीय सेवाओं जैसे हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण देख जा रहा था। डिजिटलीकरण के संदर्भ में वित्तीय सेवाओं में भी वृद्धि देखी गई। लेकिन 2016 के विमुद्रीकरण के बाद वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण में जबरदस्त वृद्धि हुई है। नवीनतम नवाचार के साथ नए खिलाड़ी के बहुत सारे उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और सुविधा का उपयोग करने के कारण बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहे।

बैंक पहले से ही अपने विभिन्न ऐप के साथ इस क्षेत्र में उपलब्ध थे लेकिन यह इतना उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नहीं था। लेकिन 2016 के प्रभाव के बाद जब ग्राहकों ने विभिन्न ऐप, विशेष रूप से पेटीएम और फोनपे का उपयोग करना शुरू किया, तब उन्होंने अपने डिजिटल ऐप का आविष्कार करना शुरू कर दिया। और अब अधिकांश पारंपरिक बैंकों ने प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण अपने ऐप को सफलतापूर्वक विश्व स्तर पर बदल दिया है। 2016 में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई के हालिया लॉन्च ने पारंपरिक बैंकों के ऐप और नवीनतम ऐप के बीच प्रतिस्पर्धा को और अधिक बढ़ा दिया है। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि ग्राहक आजकल डेबिट कार्ड लेनदेन की क्षमता से अधिक यूपीआई आधारित लेनदेन का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों के यूपीआई, उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं हैं, इनमें से अधिकांश ऐप तृतीय पक्ष विक्रेता द्वारा विकसित किए जाते हैं। इसलिए वे निरंतर आधार पर नवाचार करने में सक्षम नहीं हैं।

लेन-देन में आसानी, लेन-देन का विवरण देखने की सुविधा, आयकर भरना, आधार लिंक करना, 15 जी और 15 एच भरना और कई अन्य सेवाएं डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों के लिए यथा उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आबादी में युवा आबादी अधिक मात्रा में है और उनमें से अधिकांश तकनीक प्रेमी हैं। इसलिए एक जिम्मेदार बैंक के रूप में हमें अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप अपने डिजिटल उत्पादों का निरंतर नवाचार करना होगा। अधिकांश ग्राहकों ने इन उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और वे खुश हैं क्योंकि उन्हें बैंक नहीं जाना है और वे अपना सारा काम घर या कार्यालय से ही कर सकते हैं।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं डिजिटल हो रही हैं, चाहे वह खाद्य सब्सिडी हो या उर्वरक सब्सिडी या घर की सब्सिडी आदि। वित्तीय सेवा के सूत्रधार के रूप में हमें लगातार अपनी सेवा को उन्नत करना होगा।

अगला विषय सुरक्षा का आता है जो कि किसी भी वित्तीय लेनदेन में सर्वोपरि है। रोज धोखाधड़ी हो रही है। सभी वित्तीय संस्थान इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक हमें इस दिशा में काम करना है और लगातार अपने आप को उन्नत करना है। इसके अलावा लेन-देन की विफलता एक और समस्या है। हमें समाधान विकसित करना चाहिए ताकि हम असफल लेनदेन के लिए टर्नअराउंड समय को कम कर सकें।

जैसा कि भारत एक वित्तीय महाशक्ति बनने जा रहा है, जो डिजिटल सेवाएं हम प्रदान करते हैं, इस सपने को प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकते हैं। साथ ही हमें उस समस्या का समाधान खोजना होगा जो हमारा देश डिजिटल सेवाओं के मामले में सामना कर रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और हमें एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में भी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करनी है।

सुमित कुमार पंडित
कॅरियमंगलम, शाखा

एनपीए की समस्या तथा बैंकों का विलय

बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार कहे जा सकते हैं। ऐसे में बैंकों में बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपतियाँ (एनपीए) संकट पैदा कर रही है। जब दिए गए कर्ज की किश्त का भुगतान 90 दिनों के अंदर न किया जाए तो वह कर्ज बैंक द्वारा एनपीए घोषित किया जाता है।

भारतीय बैंकों का जून 2018 तक 10 प्रतिशत से ज्यादा एनपीए है। अमेरिका एवं चीन में यह अनुपात 2 प्रतिशत तक है। भारत में 8 ऐसे बैंक है जिनका एनपीए 15 प्रतिशत से भी अधिक है। भारत में एनपीए संकट 2008 में आई वैश्विक मंदी के बाद से शुरू हुआ है।

बैंकों का पैसा डूबने का सीधा सा मतलब है कि बैंकों के पास कर्ज देने की क्षमता में कभी आना जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हो जाती है।

सरकार बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

1. रु. 2.11 लाख करोड़ का पूनर्पूंजीकरण

2. बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन

3. प्रोजेक्ट सशक्तता तथा अन्य।

सरकार द्वारा बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए नरसिंह समिति तथा पी जे नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का विलय की नीति पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में 10 सार्वजनिक बैंकों के विलय की घोषणा की गई।

2019 में 10 बैंकों के विलय की घोषणा की गई है जिसमें इंडियन बैंक की मजबूत स्थिति के कारण इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय भी शामिल है।

बैंकों के विलय से संभावित फायदे

1. बड़े बैंकों का निर्माण जो वैश्विक स्तर के होंगे।

2. बैंकों में प्रशासन बेहतर होगा।

3. लागत में कमी आएगी।

4. बैंकों में तरलता बढ़ेगी जिससे कि एनपीए का समाधान होगा।

बैंकों की संभावित चुनौतियाँ

अधिक बैंक शाखा एक स्थान पर होने पर जहां शाखाएँ बंद हो सकती हैं जिससे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को चुनौती मिल सकती है तथा रोजगार की समस्या हो सकती है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि बैंकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इससे बैंकों में एनपीए की समस्या का समाधान होने के साथ बैंक मजबूत होंगे तथा 2024-25 तक 5 ट्रिलियर डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ नए भारत के निर्माण का लक्ष्य भी पूरा होगा।

शाहिद अख्तर
सहायक प्रबन्धक (विधि)
लखनऊ, अंचल कार्यालय

वसूली नीति 2018-19 की मुख्य बातें

- उदारीकृत एकबारगी निपटान नीति के तहत कृषि ऋण (कृषि जेवर ऋण छोड़कर) की सीमा रु. 7.50 लाख से बढ़ा कर रु.10.00 लाख कर दिया गया है।
- आरआरए निपटान फॉर्मूले के तहत वास्तविक राशि (आरबी) की सीमा रु. 5.00 लाख से बढ़ा कर रु.10.00 लाख कर दिया गया है।
- 31.03.2018 को 10 वर्ष या उससे अधिक समय के डी 3 और हानिकारक एनपीए के लिए अधिक छूटों के साथ नए आरआरए निपटान फॉर्मूले।
- रु. 7.50 लाख तक की सीमा वाले शैक्षणिक ऋण के लिए कोई एनपीवी और कुल मूल्य की गणना नहीं, कृषि ऋण (कृषि जेवर ऋण छोड़कर) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण और अन्य एनपीए जिनमें वास्तविक राशि (आरबी) रु.10. 00 लाख तक है।
- जेडएलएससीसी को अब एकबारगी निपटान पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- जेडएलसीसी वास्तविक राशि सहित एनपीए के संबंध में किए गए प्रावधान से 50% से अधिक, 10.00 लाख रुपये तक बट्टाकृत करने की अनुमति दे सकता है।
- जेडएलसीसी शैक्षणिक ऋण के लिए रु.7.50 लाख तथा कृषि ऋण (कृषि जेवर ऋण छोड़कर) और सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण के लिए रु.10.00 लाख की सीमा तक अलग-अलग एकबारगी निपटान पर विचार कर सकते हैं।
- शहरों और कस्बों में स्थित आवासीय संपत्तियों तथा शहरों एवं कस्बों और गांवों के अन्य संपत्तियों के लिए एनपीवी की गणना करने के लिए प्रतिभूतियों को वसूल करने हेतु वर्षों की संख्या बढ़ा दी गयी है।
- जेडएलसीसी पात्र मामलों के लिए 12.25% साधारण ब्याज सहित 24 महीनों की अवधि तक के देय एकबारगी निपटान पर विचार कर सकता है।

वसूली को बढ़ाने के लिए नयी पहल।

एनपीए ट्रैकर ऐप सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु मंजूरी के अंतिम चरण में है। एप्लिकेशन शाखा प्रबंधकों को प्रभावी ढंग से पालन करने और आसानी से उधारकर्ताओं के निवास का पता लगाने में सक्षम करेगा। यह उधारकर्ताओं के निवास का पता लगाने के लिए नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करता है।

इंडियन बैंक द्वारा आयोजित एसेट्स फेयर (Assets Fair)

एसेट फेयर 2019 के लिए दिनांक 06.09.2019 से 13.09.2019 तक समाचार पत्र एवं रेडियो मिर्ची, TOI.com के संभावित खरीदारों के मध्य और टीवी समाचार चैनल (सन न्यूज और News7) पर प्रकाशित कर प्रचार किया गया।

मेले में लगभग 550 (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और खाली भूमि) सभी प्रकार की संपत्तियों का प्रदर्शन किया गया। एसेट फेयर के दौरान बैंक द्वारा तमिलनाडु, बेंगलूर और तिरुपति में स्थित एवं इसके आसपास के सुरक्षित संपत्तियों की प्रदर्शनी लगायी गयी।

इस मेले के दौरान विभिन्न श्रेणियों की संपत्ति इकाइयों की जांच करने के लिए आए लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, मेले में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 900 से अधिक पंजीकरण हुए।

विभिन्न प्रकार की पूछताछ प्राप्त हुई जो मुख्य रूप से रु. 20 लाख से रु.1 करोड़ तक की आवासीय इकाइयों पर केंद्रित थी। संभावित निवेशकों की सूची, जिन्होंने एसेट्स फेयर के दौरान परिसंपत्तियों को चयन किया है, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए और इसे कारोबार में बदलने के लिए संबंधित शाखाओं को भेज दिया गया।

इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर स्थापित गृह ऋण अनुभाग के लिए एक विशेष स्टॉल उधारकर्ताओं को कई उधार विकल्पों की उपलब्धता पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए लगाया गया था। इससे आगंतुकों को ऋण पात्रता की मात्रा की जानकरी और सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया।

उन लोगों के लिए जो इस मेले में शामिल नहीं हो सके, मेले में प्रदर्शित संपत्तियों की पूरी सूची बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

जिन ग्राहकों ने संपत्ति खरीदने में रुचि दिखाई है, उनके साथ विस्तृत रूप में अनुवर्तन कॉर्पोरेट कार्यालय, वसूली विभाग, द्वारा किया जाता है। निरीक्षण और संपत्तियों के निरीक्षण के लिए आए ग्राहकों की सहायता के लिए संबंधित शाखाओं के साथ ईमेल और फोन कॉल के जरिये संपर्क किया जाता है।

एनपीए वसूली : एक चुनौती

एक चिकित्सक के लिए रिकवरी एक कठिन चुनौती है और एक बैंकर के लिए और अधिक क्योंकि वह जनता के पैसे के संरक्षक के रूप में काम करता है। एक बैंकर का मुख्य कार्य स्वीकृत जमाओं पर कुछ ब्याज का भुगतान करने और इन स्वीकृत जमाओं को ऋण और अग्रिम के रूप में वितरित करने हेतु धन जमा स्वीकार करना है। अग्रिम और मांग पर ऋण पर अर्जित ब्याज, जमाकर्ताओं को भुगतान करने और प्रशासन और बैंकिंग बुनियादी ढांचे के रखरखाव सहित विभिन्न खर्चों के भुगतान में उपयोग किया जाता है।

यदि बैंकर को उधार पैसा वापस नहीं मिलता है तो पूरा चक्र गड़बड़ा जाता है। विभिन्न हिस्सेदारी धारक अर्थात जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और नियामकों के अनुपालन से बैंकर पर बहुत दबाव होता है। अन्य दबाव बेसल मानदंडों और बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुपालन का हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के साथ, परिचालन जोखिम भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

आइए हम कानपुर अंचल की हमारी पीलीभीत शाखा की शाखा वसूली के स्थानीय स्तर पर बात करें।

शाखा ने आईबीकेसीसी और सरकार प्रायोजित योजनाओं के रूप में कृषि अग्रिम के गहन आधार पर काम शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2014-16 के दौरान 3 वर्ष की अवधि के दौरान आईबीकेसीसी के 900 से अधिक खाते खोले गए। इस गहन कृषि ऋण की गिरावट का अर्थ यह था कि वित्त, पुनर्भुगतान की क्षमता और सुरक्षा कवर पर कम से कम ध्यान केन्द्रित की गई थी।

लोन फाइनेंस की वसूली के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया गया था। उधार लेने वाला मिलने लगा था। मार्गदर्शन , अनुनय विनय , प्रेरणा शुरू में लागू किए गए थे। जब अधिकांश उधारकर्ताओं पर असफल रहे, तो यूपी सार्वजनिक धन वसूली अधिनियम, 1972 की धारा 3 के तहत वसूली का प्रमाण पत्र लागू किया गया और राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया। जब प्रशासन ने उधारकर्ताओं को खोजना शुरू किया, तो उधारकर्ता कर्ज चुकाने के लिए सोचने लगा।

कई उधारकर्ता आरआरसी के खिलाफ राहत मांगने के लिए उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें पुनर्भुगतान के अतिरिक्त समय के रूप में राहत दी। कई उधारकर्ताओं ने सरकार द्वारा घोषित ऋण राहत की उम्मीद में अपने खातों को बिगाड़ दिया। शाखा पिछले दो वित्तीय वर्ष में करोड़ों की वसूली कर सकती है। वसूली अभियान जारी है। लोक अदालत, एवं ओटीएस वसूली में शाखा की मदद करता है। मिल कर एक साथ काम करना वसूली में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एवं इस क्षेत्र में शाखा प्रबंधक द्वारा उठाया गया सहासिक कदम समय की मांग है।

डॉ. अमर प्रताप सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक
पीलीभीत शाखा

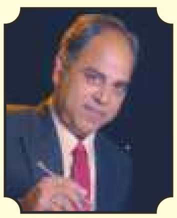

वित्तीय समावेशन एवं भुगतान बैंक

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएँ है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से उन व्यक्तियों या समाज तक वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है जिन तक यह सेवाएँ अभी तक नहीं पहुँच पायी हैं। यह सेवाएँ पारदर्शी रूप से उचित लागत पर सभी तक पहुँच पाएँ, यही सरकार का उद्देश्य है।

वित्तीय समावेशन के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:-

समाज के अपेक्षाकृत पिछड़े लोगों तक समुचित मूल्य पर पारदर्शी रूप से वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना।

लोगों को वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक करना एवं बचत करने की आदत विकसित करना।

समाज में आर्थिक विसंगतियों को दूर करना।

ऋण की उपलब्धता द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

सरकार द्वारा इस दिशा में लायी गयी योजनाएँ

प्रधानमंत्री जन धन योजना।

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना।

प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना।

अटल पेंशन योजना।

भुगतान बैंक की स्थापना।

भारत सरकार इस ओर हमेशा प्रयासशील रहा है कि अधिक से अधिक वित्तीय संस्थानों की स्थापना कर उनमें प्रतियोगिता पैदा की जाएँ ताकि ग्राहकों को या उन लोगों को जो अभी तक वित्तीय सेवाओं के दायरे में नहीं आ पाये हैं, उन्हें उचित मूल्य पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। यह भी पाया गया है कि वर्तमान में जो सरकारी बैंकिंग संस्थान है उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि वे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर सकें। इस दिशा में आउटलेट और बैंकिंग करेस्पांडेन्ट जैसी अवधारणाओं को लाया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इन सेवाओं का लाभ पहुँच सकें।

इसी दिशा में भुगतान बैंको कि स्थापना का निर्णय लिया गया। यह बैंक ऐसे बैंक है, जो रु. 1 लाख तक कि छोटी जमाएँ स्वीकार कर सकते हैं और धन समावेशन की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए रु. 100 करोड़ की प्रारम्भिक पूँजी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में हाल ही में भारतीय पोस्टल भुगतान बैंक की स्थापना की गई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी इस तरह के भुगतान बैंक खोले गए है।

पोस्टल भुगतान बैंक की स्थापना से डाकघरों के विस्तृत नेटवर्क (1,55,000) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का सर्वव्यापी विस्तार हो सकेगा। यह बैंक देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुँच रखते हैं तथा जहां अभी तक किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ भी इन डाकघरों के माध्यम से वित्तीय सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में सहज उपलब्ध हो सकेंगी। इस प्रकार भुगतान बैंकों की भूमिका वित्तीय समावेशन की दिशा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करेस्पांडेन्ट एवं बैंकिंग आउटलेट द्वारा भी जो अत्यंत सीमित संसाधनों के साथ सप्ताह में पाँच दिनों तक और रोजाना न्यूनतम चार घंटे तक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है, सरकार ने प्रभावी कदम उठाएँ हैं।

सरकार की ये योजना है कि वित्तीय समावेशन द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम किया जा सकेगा। इस दिशा में कम लागत से अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करने हेतु टेक्नॉलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मोबाइल बैंकिंग द्वारा देश के सुदूर स्थानों में भी वित्तीय सेवाएँ आसानी से पहुंचायी जा सकती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वित्तीय साक्षरता की दिशा में और

वित्तीय समावेशन की दिशा में भी हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

रिजर्व बैंक भी इस दिशा में अत्यंत गंभीरता से कार्यरत है एवं इनकी प्रगति पर निगरानी रखता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद से भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं ताकि ग्रामीण नागरिक और विशेषकर आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग इन सेवाओं के बारे में जान सके और इनसे लाभान्वित होकर साहूकारों के चंगुल से निकल सकें। वित्तीय समावेशन का एक मुख्य उद्देश्य समाज में फैली आर्थिक विसंगतियों को मिटाना भी है।

ऋणों की आसान उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। साथ ही लघु बचतों के प्रोत्साहन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के मध्य बचत की आदत डाली जा सकेगी जो कभी न कभी उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेगी।

भुगतान बैंकों की स्थापना, इसी उद्देश्य को लेकर की गयी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय समावेशन के बहुआयामी उद्देश्य है। सरकार नित नवोन्वेषी योजनाओं द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक भी वित्तीय समावेशन की दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहा है। सभी वित्तीय संस्थाएँ अगर कंधे से कंधा मिलाकर इस उद्देश्य को अधिक से अधिक सफल बना सकें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वित्तीय समावेशन की जो स्थिति वर्तमान में 58% के आसपास है, उसे और भी बढ़ाया जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका भी इसमें अत्यंत सहायक है। आइए हम इस दिशा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाएँ।

यन्नेश्वर प्रसाद मिश्रा
मुख्य प्रबंधक
अंचल कार्यालय, दिल्ली

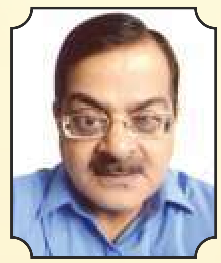

मेरी आशाओं का उदय

रात के अंधेरों के इन खेतों में
मैंने मेरी आशाओं का बीज बोया
इस उम्मीद से की मेरे अश्रुओं से भीगी यह जमीन
इस रात के बीतने से एक चांदनी भरें उदय को उगलेगी,
हर पल बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा हूँ ...... पल प्रतिपल ?
एकांत में मुझमें उगने वाले इन विचारों के अंकुर,
इस यात्रिक जीवन की, बरगद के पेड़ की छाव में उगलेगा क्या ?
पर एक सकारात्मक विचारवान व्यक्ति होने के नाते
मेरा इंतजार जारी रहेगा........

बी. उदय कुमार
मुख्य प्रबंधक, शाखा प्रबंधक
दिघुवामाघम शाखा

काज़ीरंगा की यात्रा : एक अनोखा सफर

**"पर्वत पर्वत, जंगल जंगल,
झाड़ – पात चहुं ओर,
नदियाँ नाले बहते कल –कल
चलो काज़ीरंगा की ओर।"**

भारत देश के पूर्वोत्तर राज्यों का सिरमौर असम राज्य अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, और इन्हीं सौंदर्यमयी प्राकृतिक कलाकृतियों में है एक 'काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान'।

असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में फैला हुआ यह मनोरम स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक है। यहां पहुँचने के लिये गुवाहटी से सड़क मार्ग को चुनना श्रेष्ठकर है ताकि यात्रा के क्रम में गुजरती हुई पहा़ड़ियाँ, गांव, छोटे –छोटे शहरों को सुकून से देखा जा सके।

गुवाहाटी के पलटन बाज़ार से प्रचुर मात्रा में सवारी गाड़ियाँ काज़ीरंगा के लिये रवाना होती हैं। अगर परिवार छोटा है तो छोटी गाड़ी लेना हितकर होगा। किंतु सात-आठ लोगों के लिये सुमो, बोलेरो भी वाजिब शुल्क पर उपलब्ध हो जाती है। एकल भ्रमण करने वालों के लिये बस सबसे उत्तम साधन है, जिसमें पैसे की बचत तो होती ही है, साथ ही संग चल रहे दूसरे सवारियों की गतिविधियों से मुफ्त मनोरंजन भी होता रहता है।

पलटन बाजार से गाड़ी 'दिसपुर' से गुजरते हुए ' खानापारा' पार करती है। यहां यह जान लेना बेहद रोचक है कि 'दिसपुर', गुवाहाटी से सटे असम राज्य की राजधानी है और खानापारा सड़क एक तरफ असम तो दूसरी तरफ मेघालय के क्षेत्राधिकार में आती है। हमारे ड्राइवर ने डिवाइडर पार कर के मेघालय में जाकर गाड़ी की टंकी को फुल करवाया क्योंकि पेट्रोल असम की अपेक्षा मेघालय में सस्ते दरों पर उपलब्ध थी। टंकी फुल करने के उपरांत गाड़ी पुन: गंतव्य की ओर चल पड़ी। थोड़े समय के लिये गाड़ी मेघालय में ही चलती है और उस कुछ समय में मेघालय के सौन्दर्य की अमिट छवि स्मृति में छोड़ जाती है। मेघालय की जरा सी झलक बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है और मन में अगली यात्रा की रुप-रेखा तैयार कर जाती है। थोड़ी देर के घुमावदार रास्ते और तीखे मोड़ गाड़ी में बैठे सवारियो को दाएँ – बाए मोड़ने को पर्याप्त है। वह रास्ता खत्म होते हीं मैदानी क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं जहां रास्ते में धान के खेत, संतरों के पेड़ और छोटे – छोटे जलकुंडों में गुलाबी कमल आसानी से दमकते दिख जाते हैं।

गुवाहाटी से काज़ीरंगा आराम से लगभग चार घंटों में पहुँचा जा सकता है। काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिये विख्यात है और काज़ीरंगा क्षेत्र में प्रवेश करते समय मुहडो पर दूरबीन भाड़े पर देने वाले मिल जाते है और मात्र दस रुपये के किराये पर कुछ मिनटों के लिये सुकून से वनजीवों को निहारने का सुनहरा मौका प्रदान करते है। ध्यान से देखने पर गैंडे के साथ जंगली भैंस, हाथी, बंदरों का झुण्ड आसानी से दिख जाता है, चार घंटे के सफर के बाद बच्चों सहित थोड़ा भोजन और विश्राम ज़रूरी है, इसी क्रम में ठहरने का स्थान खोजना लाजमी था। काजीरंगा मुख्य द्वार के आस पास

काफी संख्या में होटल-लॉज और कॉटेज नुमा आरामगाह बने हैं किन्तु हमने थोड़ा और भीतर जाना उचित समझा और यह अच्छा ही था क्योंकि आगे जाकर छोटे-छोटे रिज़ॉर्ट भी मिले। चूँकि थोड़ा जेब का ध्यान भी रखना है तो काफी मोल भाव करके दि-कोर्टयार्ड रिज़ॉर्ट में हम लोगों ने कमरे बुक करवाये।

रिज़ॉर्ट के बाहर का नजारा हरा भरा था और बच्चों के खेलने हेतु छोटे मैदान एवं मजबूत सीकरों से बना झूला भी था। बच्चों को झूला काफी आकर्षित करता है। खाते पीते शाम होने से हमलोग उस दिन केवल टी-गार्डेन ही जा सके। ठंड बढ़ रही थी तो वहीं लगे स्टाल से हमने चाय पी। छोटा बच्चा मैगी देखकर उसे खाने की जिद करने लगा तो पाँच रुपये की मैगी को बीस रुपये में खरीदना भी पड़ा। खैर वहाँ चाय पीते-पीते ही अगले दिन सुबह की सफारी का ब्योरा और हाथी सवारी का भाव जानकर होश ही उड़ गए। दिसम्बर की ठंड में सफारी का शुल्क सत्ताईस सौ रुपये था और वह छह व्यक्तियों तक ही सीमित है। एक भी बढ़ने से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। यह सफारी लगभग दो घंटे की होती है जिसमे काजीरंगा के एक भाग का भ्रमण कराया जाता है। काजीरंगा उद्यान को मुख्यतः पाँच भागों में बांटा गया है।

1) सेंट्रल क्षेत्र। काजीरंगा क्षेत्र
2) पश्चिमी क्षेत्र। बागोरी क्षेत्र
3) पूर्वी क्षेत्र। अगरातोली क्षेत्र
4) बूरापहार क्षेत्र
5) उत्तरी क्षेत्र। बिश्वनाथ

हमने सेंट्रल जोन अर्थात काजीरंगा क्षेत्र का चयन किया और अगली सुबह तय समय पर जीप सफारी के लिए रवाना हुए।

मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने हमारे हैंड बैग की जाँच की और उस दरम्यान द्वार पर लिखे निर्देशों को पढ़ना आवश्यक है। खासतौर पर अगर आपके साथ बच्चे हों तो हिदायत देना जरूरी है। निर्देशों में लिखित अंतिम वाक्य - "आप अपने रिस्क पर भीतर प्रवेश कर रहे हैं "थोड़ा डराता भी है।

भीतर प्रवेश करते ही हाथी के झुंड जंगली भैंस तथा एक एक सींग वाले गैंडे आसानी से प्रचुर मात्रा में दिख जाते हैं जिन्हे देखकर काजीरंगा का एहसास शुरू हों जाता है। टेढ़ी-मेढ़ी कच्ची सड़क पर सफारी जीप धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और तभी इक्का दुक्का हिरण चरते हुए आसानी से दिख जाते हैं। हमारे आगे-पीछे चल रही गाड़ियों में बच्चे कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे और बार-बार चिल्लाने लग रहे थे।

लकड़ी के बने मजबूत पूल पर जब सफारी गाड़ी चली तो लगा कि अब पूल टूटा, पर वह तो बांहे फैलाये अपने आगंतुकों के स्वागत हेतु वर्षो से खड़ा ही रहा है। नीचे बहती धीमी नदी में हमें कुछ खास देखने को लगा नहीं कि तभी बेटे ने धीरे से नदी में स्थिर पड़े लकड़ी के लट्ठो की ओर देखने को कहा। उन लट्ठों पर बहुत संख्या में कछुए धूप सेक रहे थे।। कुछ बड़े तो कुछ काफी छोटे। सभी सिर उठाए गुनगुनी धूप का स्वाद चख रहे थे, जिन्हें देखकर मन रोमांच से भरा जा रहा था। जैसे ही नदी

खत्म हुई और गाड़ी आगे बढ़ी, बायीं तरफ एक दूर तक फैली सूखती हुई दल दल नुमा नदी दिखी जिसमें कुछ पंछी घात लगाए बैठे थे। गाड़ी में बैठे सभी लोग बायीं तरफ देख ही रहे थे कि एक बच्चे ने हाथी -हाथी का शोर मचाया। हमने जैसे ही दाहिनी ओर नजर घुमाई, एक विशाल गजराज अपनी दोनों दांतों के साथ हमारी सफारी गाड़ी के बेहद नजदीक बुत बना खड़ा था। बेहद गंभीर रूप लिए कि अभी धावा बोल दे। हमने सफारी धीरे करने को कहा ताकि मोबाइल से सेल्फी ली जा सके, पर हमारी सोच के विपरीत चालक ने गाड़ी को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। वर्षों से सफारी चला रहे चालक जानवर को देखकर ही उनका रुख भाँप लेते हैं अतएव अपना चालक चुनने में सतर्क रहे और नौसिखियों से सावधान रहें।

आगे बढ़ते हुए हमें मार्ग में गीली सड़क संकरे रास्ते ऊँचे वृक्ष और बिना पत्ते वाले ठूठ वृक्ष भी दिखे। झाड़- पात भरे पेड़ तो थे ही और हर सड़क पर बेर फल के वृक्ष लदे पड़े थे। बच्चे तो बेर तोड़ने की जिद भी कर रहे थे। पर हमारी सख्त हिदायत थी कि न कुछ तोड़ना है न ही शोर करना है। ऊँचे-ऊँचे वृक्ष पर लताए लिपटी हुई सर्प की आकृति बनाए काजीरंगा में बहुतायत में दिख जाएंगे। जंगल एकदम शांत और मनोरम होते हुए भी एक अजीब सा डर पैदा करता है पर उस डर में डूबने नहीं देता। आने वाला दूसरा दृश्य फिर विस्मय में डालते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।

अनेक स्मृतियों को समेटकर संजोने में यह प्राकृतिक स्थल हर मायनों में अपने द्वार पर भ्रमण करने आए हर जीव चाहे व्यक्ति हो या पशु-पक्षी को पूरी तरह अपने हर पहलुओं से जुड़ने का मौका देता है।

अतएव हर किसी को भरसक प्रयास करने की जरूरत है। वन क्षेत्र के संरक्षण को जितना हो सके सार्थक रूप में सहयोग दें ताकि भविष्य में भी यह और इन जैसे स्थल अपने भीतर की पारिस्थितिकी तंत्र से आने वाले वर्षों में लोगों को यूँ ही परिचित करने में सक्षम हों ।

वंदना सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, गुवाहाटी

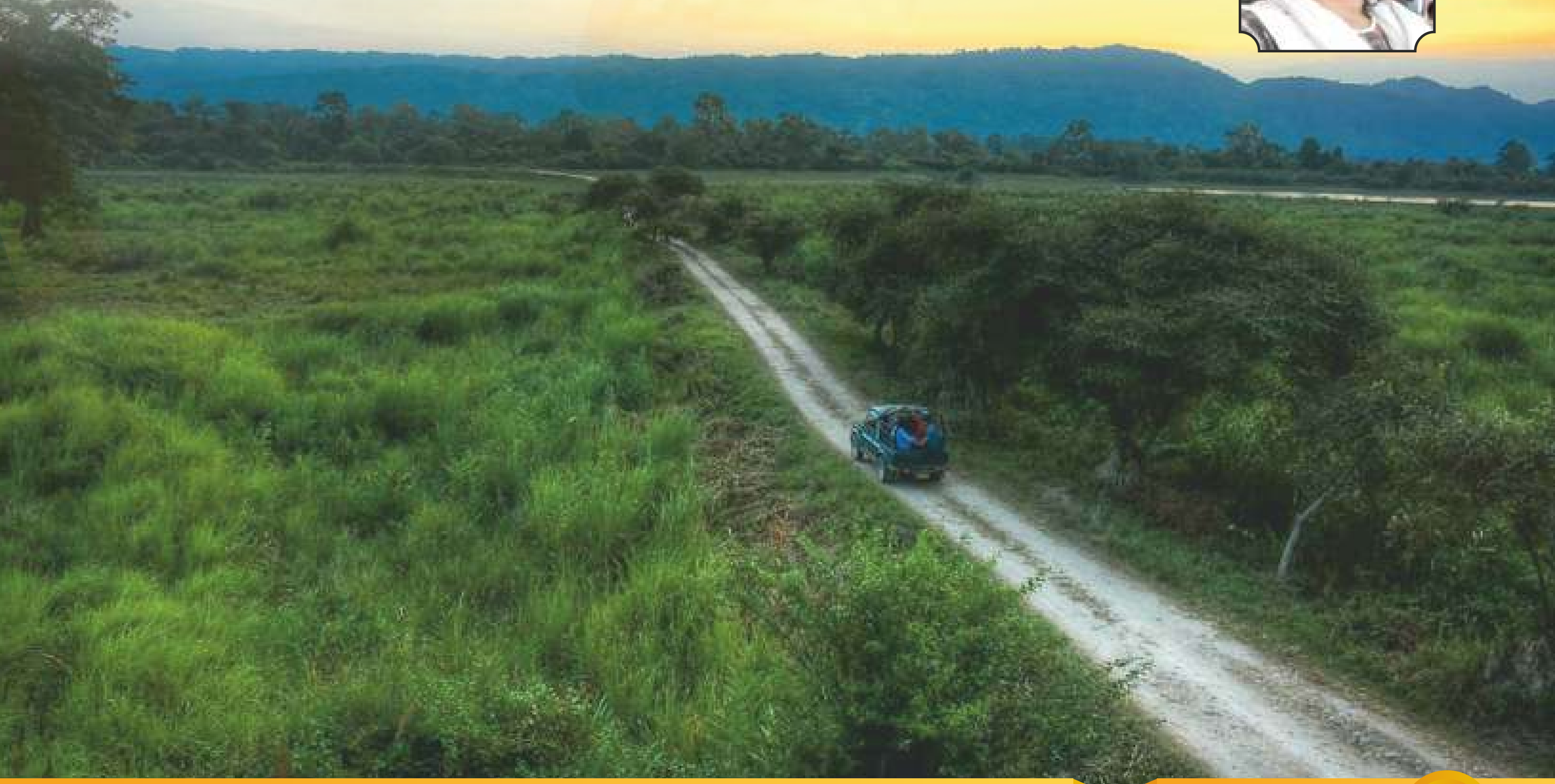

सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास एवं क्षेत्रीय भाषाएँ

भारत अनगिनत विविधताओं से भरा देश है, शायद ही किसी अन्य देश में ऐसा हो। यह विविधता अत्यंत प्राचीन काल से ही है। यह हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भी परिलक्षित होती है। प्रकृति ने यह भारत को विरासत में सौंपी है। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से इसकी जड़ें गहरी हैं।

यदि हम भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाएँ तो हमें प्राकृतिक विविधता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी मिलेगी। उत्तर में गंगा का उपजाऊ मैदान है तो दक्षिण का भूभाग पठारी है। यहाँ के रीति रिवाज, त्यौहार और परम्पराएँ भी भिन्न हैं। इसकी अभिव्यक्ति यहाँ की भाषाओं से परिलक्षित होती है।

हम प्राचीन काल में ऋषि अगस्त्य का उल्लेख पाते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर गए और आर्य संस्कृति का प्रसार किया। आधुनिक युग में भी आवागमन के साधनों के कारण उत्तर भारत के अनेक लोग दक्षिण में जाकर कार्य कर रहें हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में उत्तर भारत के हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। कितने ही लोग वहाँ बस गए और स्थानीय संस्कृति से घुल-मिल गए। इससे न केवल वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ समृद्ध हुई हैं , बल्कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का विस्तार भी पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। हमारे देश का सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि परस्पर आपस में जुड़े हैं। एक सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास वही है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ, हमारा सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन भी विकसित हो और उसमें समन्वय भी परिलक्षित हो। विकास वही सार्थक है जो हमारे समाज और संस्कृति से जुड़ाव रखें और परिवर्तनों को सहज ही अपने में समाहित कर लें।

अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारा देश समृद्ध रहा है। उस काल में हमारा देश 'सोने की चिड़िया' कहलाता था। हमारा व्यापार चीन, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, श्रीलंका आदि देशों से होता था। मौर्य वंश और गुप्त वंश भारत के दो बड़े प्राचीन साम्राज्य रहे हैं। इनके काल में भारत, चीन से रेशम का व्यापार करता था। सूती कपड़े के लिए काशी, बंग, कलिंग और मालवा प्रसिद्ध थे। दक्षिण में चोल वंश ने भी अपना व्यापार श्रीलंका तक फैलाया। गुप्त काल में भी पश्चिम में भृगुकच्छ या भड़ौन्च, पूर्व में ताम्रलिप्ति (बंगाल), दक्षिण में अरिकमेडु व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह थे। व्यापार- व्यवसाय की उन्नति से तमिल, मलयालम, संस्कृत, पालि, प्राकृत, बंगाली, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि हुई।

यदि हम भाषा और शिक्षा के आपसी संबंधों को देखें तो हमें पता चलता है कि उस समय भी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कश्मीर, मालवा, वल्लभी, काशी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा हर युग में मानवीय संसाधनों को विकसित करने का माध्यम रही है। बिना शिक्षा के सर्वांगीण विकास असंभव है। प्राचीन भारत में मंदिर और मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस समय संस्कृत, पालि, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड भाषा में अनेक रचनाएँ लिखी गयी। कालीदास गुप्तयुगीन संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम एक कालजयी रचना है। उन्होंने दो अन्य नाटकों मालविकाग्निमित्र की भी रचना की। इन नाटकों में प्रेम और सौंदर्य का अभूतपूर्व चित्रण है।

संस्कृत के अलावा इस काल में पाली और प्राकृत भाषाओं में भी साहित्य रचा गया। भगवान बुद्ध ने प्रवचन हेतु पालि भाषा का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ पालि भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रन्थों में बौद्ध मठों के संगठनात्मक रूप तथा दार्शनिक चिंतन का समावेश है। इसके अलावा जातक कथाएँ भी हैं जो गैर धर्म वैधानिक बौद्ध साहित्य है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी कहानियाँ हैं। बौद्ध कहानियों की ही भांति, जैन कथाएँ भी सामान्य रूप से शिक्षात्मक स्वरूप की हैं, इन्हें प्राकृत के कुछ रूपों में लिखा गया है।

बौद्ध और जैन साहित्य के साथ- साथ इस काल में दक्षिण भारत का साहित्य भी समृद्ध हुआ। द्रविड़ साहित्य में मुख्यतः चार भाषाएँ शामिल है- तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम। इनमें तमिल सबसे पुरानी भाषा है जिसने द्रविड़ चरित्र को बचाकर रखा है। प्रारम्भिक तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है, इसमे प्रमुख रूप से राजाओं के पराक्रम तथा गौरव का वर्णन है।

समय परिवर्तनशील है। परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती। इस्लाम ने इतिहास के पन्नों पर आहट दी। एक नए धर्म और

उसके अनुयायियों की प्रबल प्रसार की भावना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और इस्लाम की आँधी ने दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। इस्लाम ने अपने से पूर्व के धर्मों- हिन्दू, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म को चुनौती दी। इसने दुनिया में एक नए संघर्ष को जन्म दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 712 ई0 में मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 1206 ई में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से समाप्त हुआ।

बाबर के आगमन से एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई और सल्तनत युग का अंत हुआ। मुगल वंश ने न केवल इस्लामी राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वय भी किया। अंग्रेजों के शासन से पूर्व तक मुगल राजवंश ही चलता रहा।

पूरे मध्य युग को इस्लामी संस्कृति ने प्रभावित किया। इस युग में भी भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश रहा। भारत की संपन्नता का मुख्य स्रोत कृषि ही था। कपास, गन्ना, तिलहन एवं नील का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। खेती के साथ- साथ उद्योग भी आय का एक साधन था। मछली पकड़ना, धातु, नमक, अफीम और शराब आदि के उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। सुल्तानों के भी अपने कारखाने होते थे, जिनमें कई हज़ार जुलाहे काम करते थे। देश के सभी भागों में सूती कपड़ा बनाया जाता था। इस काल में धन का वितरण असमान था। वास्तव में यह थोड़े लोगों के हाथों में केन्द्रित था।

राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन से न केवल आर्थिक विकास प्रभावित हुआ, बल्कि इसका प्रभाव शिक्षा साहित्य पर भी पड़ा। तुर्की, अरबी, फारसी जैसी नई भाषाओं से भारत का परिचय हुआ। इस युग में एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। यह मिश्रित संस्कृति का परिणाम थी। महान कवि अमीर खुसरो इसके पहले प्रयोगकर्ता थे, तब इसे हिन्दवी कहा जाता था। एक परंपरानुसार खुसरो ने अपने गुरु शेख निज़ामुद्दीन औलिया के निधन पर निम्न पद हिन्दी में पढ़ा था:

“गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश।

चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुं देश।“

मध्यकालीन साहित्य का एक प्रमुख विषय भक्ति रहा। इसका कारण भक्ति आंदोलन था। इस आंदोलन ने शताब्दियों पुरानी

जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं को प्रचार का माध्यम बनाया। इससे क्षेत्रीय भाषाएँ समृद्ध हुई। भक्ति आंदोलन के संतों में मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव तुकाराम आदि ने अपनी- अपनी भाषाओं में रचनाएँ की। मीराबाई के भजन राजस्थानी और ब्रज में है। सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। उनकी रचनाएँ सुरसारावली, साहित्यलहरी प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखकर उसे जन जन तक पहुंचाया। उनकी अन्य रचनाएँ विनयपत्रिका,कवितावली और गीतावली हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने अपने गीतों से जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया। ज्ञानेश्वर, एकनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुजरात में नरसी मेहता प्रसिद्द वैष्णव संत हुए उनका भजन “वैष्णव जन तेने कहिए” गाँधी जी का प्रिय भजन था। इस काल में बंगाली भाषा के कवि चंडीदास, मैथिलि के कवि विद्यापति हुए। कशमीर में एक कवियत्री “लाल्दयद” ने रहस्यमय भक्ति को एक नया आयाम दिया। असमी कवि शंकरदेव ने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटक और भक्ति गीतों का प्रयोग किया। भक्ति आन्दोलन ने दक्षिण की भाषाओं को भी समृद्ध किया। कंबन ने तमिल में रामायण लिखी। मलयालम में एजूत्च्चन, तेलुगु में ननंय प्रसिद्द कवि हुए। कन्नड़ भाषा में बसवान्ना, अल्लमा प्रभु महान कवि हुए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग में साहित्य ने न केवल धार्मिक-सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी समृद्ध किया।

इस्लामी संस्कृति का यह प्रभाव यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ घटता चला गया। 17-18 वीं शताब्दी यूरोप में परिवर्तनों

का समय था। इस समय यूरोप में नई-नई खोजें और अविष्कार हुए, एक नई क्रांति की शुरुआत हुई जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसने यूरोप को एक नई ऊर्जा दी और उसे मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के दरवाजे पर खडा कर दिया। एशियाई-अफ्रीकी देश इस परिवर्तन से अछूते रहे। परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय लोगों ने एक-एक करके इन देशों को अपना गुलाम बना लिया। यह वह समय था, जब भारत में मुग़ल साम्राज्य अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहा था। मराठे उनका स्थान लेने में असफल रहे। भारत की इस राजनीतिक शून्यता को अंग्रेजों ने भरा। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने सम्पूर्ण भारत को अपने प्रभुत्व में ले लिया।

फिर उपनिवेश और साम्राज्यवाद का वह दौर शुरू हुआ जिसके कारण आने वाले 200 वर्षों तक भारत का हर प्रकार से शोषण होता रहा। अंग्रेजों को भारत से कच्चा माल चाहिए था ताकि ब्रिटेन के कारखाने चलते रहे। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। भारतीय सूती कपड़ा जो कभी यूरोप के बाजार में छाया रहता था वह धीरे-धीरे विलुप्त होने लगा। भारत के कपास ने मैंनचेस्टर की मीलों को ऊर्जा दी। जो देश कभी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था वह घोर निर्धनता के कुचक्र में फंस गया।

इस आर्थिक दुर्दशा के कारण पूरा समाज जड़ हो गया। समाज रूढ़िवादी और कट्टर होता चला गया। समाज की जड़ता को 19 वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने दूर करने का प्रयास किया। बंगाल के महान समाज सुधारक "राजा राम मोहन राय" इस दिशा में अग्रणी रहे। इस हेतु उन्होंने बंगाली में "संवाद कौमुदी"और फ़ारसी में "मिराह-उल-अखबार" समाचार पत्र निकाला।

समाज सुधारकों ने वह जमीन तैयार कर दी जिस पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ने में लोकमान्य तिलक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिलक ने मराठी में "केसरी" और अंग्रेजी में ",मराठा" समाचार पत्र निकालकर आम जनमानस को जागृत किया। तिलक के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम महात्मा गाँधी ने किया। गाँधी जी ने आम आदमी की भाषा बोली। सत्य और अहिंसा इनके हथियार थे। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्र नाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। गाँधी जी का वर्णन उस समय के ज्यादातर साहित्यकारों ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओँ में किया। वल्लतोल (मलयालम), सत्येन्द्र नाथ दत्ता (बांग्ला), काजी नजरूल इस्लाम (बांग्ला) और अकबर इलाहाबादी (उर्दू) ने गाँधी जी को पश्चिमी सभ्यता को चुनौती के रूप में और एशियाई मूल्यों के गौरव के रूप में चित्रित किया। गांधीवादी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से उस समय के कथा-साहित्य को अभिभूत कर दिया। ताराशंकर बंदोपाध्याय (बांग्ला), प्रेमचंद (हिंदी), बी.एस. खांडेकर (मराठी) ने गांधीवादी मूल्यों का अपनी रचनाओं में चित्रण किया। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं द्वारा कृषक समाज के दुःख दर्द को अभिव्यक्ति दी। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में ये शाषकों के हृदय परिवर्तन के आदर्शवादी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी जी एक तरफ राजनीति को एक नई दिशा दे रहे थे वहीँ दूसरी तरफ क्षेत्रीय भाषाओँ के साहित्यकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन रहे थे।

गाँधी जी के अलावा इस समय के साहित्य का एक अन्य झुकाव मार्क्सवाद की तरफ भी दिखता है। इसको आगे ले जाने का कार्य प्रगतिशील लेखक संघ ने दिया, जिसकी स्थापना लन्दन में 1936 में मुल्कराज आनंद (अंग्रेजी) ने की तथापि यह शीघ्र ही अखिल भारतीय आन्दोलन बन गया। इन लेखकों ने मार्क्सवाद गांधीवाद को समन्वित कर एक नया रूप दिया। यह आन्दोलन विशेष रूप से उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मलयालम में स्पष्ट था, लेकिन इसका प्रभाव समस्त भारत में महसूस किया गया। बांग्ला कवी समर सेन और सुभाष मुखोपाध्याय ने अपनी कविता में एक नए सामाजिक राजनीतिक दुश्चिन्ताओं को जगह दी। फ़क़ीर मोहन सेनापति (ओडिशा) ने अपनी रचनाओं द्वारा आम जनमानस के असीम दुःख-दर्द को अभिव्यक्ति दी। मानिक वंद्योपाध्याय मार्क्सवाद के सबसे प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार थे। वैक्कम मोहम्मद बशीर, एस. के. पोत्तेक्कोट और तकशि शिवशंकर पिल्लई जैसे मलयाली लेखकों ने अपनी रचनाओं द्वारा आर्थिक सामजिक असमानताओं को चित्रित किया। कन्नड़ के कथा साहित्य लेखक शिवराम कारंत ने भी गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रेरणा ली। मार्क्सवाद से प्रेरित होकर रब्दुल मालिक (असमी), संत सिंह शेखो (पंजाबी) और जोश मलीहाबादी (उर्दू) ने भी अपनी रचनायें की।

गांधीवादी और मार्क्सवादी साहित्य का प्रेरणा स्त्रोत हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन था । भारतीय मार्क्सवाद 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा ले रहा था पर उन दिनों गाँधी जी का प्रभाव पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन पर था, इसीलिए भारतीय मार्क्सवाद को गांधीवादी मूल्यों से समन्वय करना पड़ा।

गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित किया । द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को उसकी मंजिल के समीप ला दिया। विश्व युद्ध की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर ही भारत को स्वतन्त्रता की प्राप्ति हो गई।

क्षितिज पर एक नए देश का उदय हो चुका था, जिसकी बाग़डोर पं. नेहरु के हाथों में थी। जिनके पास राष्ट्रीय आन्दोलन की एक लम्बी विरासत और समाजवादी विचारधारा की प्रेरणा थी। नए बांधों और कल-कारखानों के माध्यम से नेहरु ने देश की विकास यात्रा की नींव रखी। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखी । नेहरु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इसे "जय जवान जय किसान" के नारे द्वारा आगे बढ़ाया। इंदिरा जी ने हरित क्रांति के प्रणेता डॉ एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से देश को अनाज उत्पादन में आगे बढ़ाया। कांग्रेस से पृथक विचारधारा रखते हुए बीच में सत्ता में और जनता पार्टी ने मोरार जी देसाई के नेतृत्व में रोलिंग प्लान के द्वारा विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। पर यह प्रयास उनको आपसी प्रतिद्वंदता के कारण राजनीतिक गतिरोध का शिकार हो गया। "गरीबी हटाओ" के नारे पर इंदिरा जी पुनः सत्ता में आई। इंदिरा जी के बाद राजीव गाँधी सत्ता में आये। उन्होंने कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा दिया। आज हम जिस संचार क्रान्ति की बात कर रहे हैं, उसकी नींव उसी समय रखी गई थी।

ये सारे प्रयास नौकरशाही और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण पूर्णतया सफल नहीं रहे । 1991 आते-आते आर्थिक हालत ख़राब हो गए । इसके पश्चात देश में आर्थिक सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ जो अभी भी गतिमान है। आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को एक नई दिशा दी । अब सरकारीकरण के बजाय निजीकरण पर, लालफीताशाही की जगह पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। सूचना और संचार के क्षेत्र में तीव्र गति से हुए विकास ने शिक्षा और साहित्य को भी बढ़ावा दिया है। शिक्षा के विस्तार ने क्षेत्रीय भाषाओँ को भी बढ़ावा दिया। आज रेडियों और टी.वी. सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं, ज्ञान – विज्ञान का भी एक बड़ा माध्यम बन गए हैं । दूरदर्शन में विभिन्न भाषाओं के चैनल उपलब्ध हैं। बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में काम को बढ़ावा दिया जा रहा है । यही स्थिति अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में है। जी. एस. टी. जैसे आर्थिक सुधारों ने जहाँ देश का आर्थिक एकीकरण किया है वहीँ आर्थिक क्षेत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य को बढ़ावा दिया है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश में सामजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं। आधुनिकता और परम्परा में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है । परम्परागत मूल्यों का आधुनिक मूल्यों से अलगाव हुआ है । साहित्य में यह नया युग उत्तर आधुनिकतावाद कहलाता है। इस काल की रचनाओं में आम आदमी के निकल आने का प्रयास किया गया है। एन. प्रभाकरन, पी. सुरेन्द्रन जैसे मलयालम की तृतीय पीढ़ी के लेखक इस उत्तर आधुनिकता की अभिव्यक्ति करते हैं । इसी प्रकार तमिल में जयमोहन, बांग्ला में देवेश राय और हिंदी में रेणु, शिव प्रसाद सिंह पुराने मूल्यों से जुड़ाव के संघर्ष को इंगित करते हैं। विकास की इस यात्रा में ग्रामीण और शहरी भारत में जो अंतर आया है, उसे वीरेंद्र कुमार (असमी), सुनील गंगोपाध्याय (बंगला), पन्नालाल पटेल (गुजराती), मन्नू भंडारी(हिंदी), वी. वेडेकर (मराठी)ने अपनी रचनाओं में दर्शाया है।

विकास की यात्रा में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने नए – नए क्षेत्रों में प्रवेश किया और पुरुषों के प्रभुत्व को चुनौती दी। इसकी अभिव्यक्ति कमलादास (मलयालम), कृष्णा सोबती

(हिंदी), आशापूर्णा देवी (बंगला), राजम कृष्णन (तमिल) और अन्य महिला लेखकों की रचनाओं में दिखाई देता है।

महिला सशक्तिकरण के अलावा इस युग के साहित्य की नई विशेषता दलित और आदिवासी अधिकारों की आवाज बुलंद करना है। साहित्य में दलित आन्दोलन डॉ आंबेडकर के नेतृत्व में गुजराती, कन्नड़ लेखकों ने शुरू किया। इसने ब्राह्मणवादी मूल्यों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। समाज में दलितों की वेदना और संघर्ष को लक्ष्मण गायकवाड ने अपने मराठी उपन्यास "उच्चका" (जो उनकी आत्मकथा है) में दर्शाया। कन्नड़ में महादेव देवनूर और गुजराती में जोसफ मैकवान ने इस कार्य को आगे बढ़ाया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर युग में आर्थिक विकास हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डालता रहा है। राजनीतिक सत्ता इस आर्थिक विकास के लिए एक आधार तैयार करती है और यह विकास हमारे सामाजिक –सांकृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है तथा भाषा इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है।

आज के समय में सूचना और जनसंचार के साधनों-रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल, इन्टरनेट ने भाषा की समृद्धि में अमूल्य योगदान दिया। हमारे ज्ञान-विज्ञान के पुरातन पक्ष नवीन रूप में विकसित हो रहे हैं। ज्ञान-विज्ञान अब देश और काल की सीमाओं से मुक्त होकर वैश्विक रूप ले रहा है। तकनीक ने विभिन्न भाषाओँ के ज्ञान को हर व्यक्ति की पहुँच में ला दिया है। हमारी पुरानी योग विद्या पुनः जीवित हो उठी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून, को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना इसका प्रमाण है। इस तकनीक प्रधान योग में भाषा बाधक नहीं रह गई, बल्कि सहायक बन गई है।

निहारिका सिंह
सहायक प्रबंधक
अंचल कार्यालय, लखनऊ

नौकरी की सुन्दरता

तू कितनी हसीन होगी ऐ ! नौकरी
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

सुख - चैन खोकर चटाई पर सोकर
सारी रात जागकर पन्ने पलटते हैं
दिन में तहरी रात को मैंगी
आधे पेट ही खाकर तेरा नाम जपते है
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

अंजान शहर में छोटा सस्ता रुम लेकर
किचन - बेडरुम सब उसी में सहेज कर
चाहत में तेरी अपने माँ बाप और
दोस्ती से दूर रहते हैं
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

राशन की गठरी सिरपे उठाये
अपनी मायूसी और मजबूरियाँ खुद ही
छुपाये खचाखच भरी लम्बीगाड़ी में
बिना टिकट के रिस्क लेके आज सफर करते हैं
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

इन्टरनेट और अखबारों मे तुझको तलाशते
तेरे लिये पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते – पढ़ते
बत्तीस साल तक के जवान कुँवारे फिरते हैं
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

तू बड़ी हसीन हैं ऐ नौकरी
सारे युवा आज तुझपे ही मरते हैं ।।

ललित कुमार
सहायक प्रबंधक
चिंतापर्थी शाखा

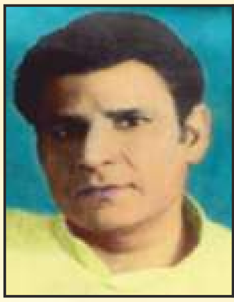

नाम	दुष्यंत कुमार त्यागी
जन्म	27 सितंबर 1931
जन्म स्थान	रायपुर, नवादा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश
पिता का नाम	चौधरी भगवत सहाय

रचना संग्रह

प्रकाशित पुस्तकें

छोटे-छोटे सवाल (उपन्यास)
आँगन में एक वृक्ष (उपन्यास)
एक कंठ विषपायी (काव्य नाटक)
सूर्य का स्वागत (काव्य संग्रह)
आवाजों के घेरे (काव्य संग्रह)
जलते हुए वन का वसंत (काव्य संग्रह)
साये में धूप (गजल संग्रह)

अप्रकाशित पुस्तकें

और मसीहा मर गया (रेडियों नाटक)
दुहरी जिंदगी (उपन्यास)
मन के कोण (लघु कथाएँ)

दुष्यंत कुमार का जन्म 27 सितंबर 1931 को रायपुर, नवादा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। दुष्यंत कुमार का परिवार सामंती ठाठ-बाट वाला रईस परिवार था। उनके पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय था। उनकी माता का नाम रामकिशोरी देवी और उनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी त्यागी था। दुष्यंत कुमार के दो बेटे थे, जिनका नाम आलोक और अप्पू था। उनकी बेटी का नाम अर्चना था।

दुष्यंत कुमार के पिता चौधरी भगवत सहाय एक अच्छे शायर और ज़िंदादिल इंसान थे। दुष्यंत कुमार के पिता ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अपने जवान बड़े बेटे प्रकाश नारायण की दुःखद मौत और दुष्यंत कुमार के बड़े भाई महेंद्र नारायण त्यागी की रेल सिग्नल से टकराकर अकाल मृत्यु को जिस तरह कलेजे पर पत्थर रखकर झेला था, वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। दुष्यंत कुमार ने अपने पिता की चर्चा करते हुए लिखा है – "पिताजी अक्सर शायरी गुनगुनाया करते थे और खेती-किसानी, जमींदारी और उससे जुड़े तरह-तरह के मुकदमों के बावजूद पस्तहिम्मती उनके मिजाज में नहीं थी। 'जिंदगी ज़िंदादिली का नाम है, मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं।' इस टुकड़े को वह प्रायः जब-तब मंत्र की तरह दुहरा दिया करते थे।"

दुष्यंत कुमार की माँ "रामकिशोरी देवी यों तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अक्सर बातचीत में पढे-लिखे लोगों के कान काटा करती थी। बात को सीधे और सपाट ढंग से कहना उन्हें जैसे आता ही नहीं था। उनका प्रत्येक वाक्य अलंकारिक लपेट और भंगिमा लिए होता।"

दुष्यंत कुमार के शुरुआती गुरु उनके माता-पिता ही थे। दुष्यंत कुमार की प्रारम्भिक शिक्षा उनके गाँव राजपुर, नवादा से शुरू होता है। दस साल की उम्र में प्राइमरी का इम्तेहान देकर वे नजीमाबाद, मुजफ्फरनगर आदि कई जगहों पर बड़े भाई महेंद्र के साथ पढ़ने के लिए भेजे जाते रहे। मुजफ्फरनगर में भाई की मृत्यु के बाद दुष्यंत कुमार का वहाँ रहकर पढ़ना असंभव था। अतः वह मुजफ्फरनगर छोड़कर नहटौर के एस.एन.एस.एम हाई स्कूल में आकर पढ़ने लगे। नहटौर को कवि का अंकुरण काल कहा जा सकता है, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने अपनी वास्तविक शिक्षा का दौर यहीं से शुरू किया था। नहटौर अगर कवि का अंकुरण काल था तो चौदसी उनका विकसन काल। चौदसी में इंटर कक्षा का पहला साल पूरा कर दुष्यंत कुमार जब दूसरे वर्ष में आए, तब 30 नवंबर 1949 को उनका विवाह राजेश्वरी कौशिक के साथ करा दिया गया। राजेश्वरी देवी के रूप रंग का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं:

"वह चपल बालिका भोली थी,
कर रही लाज का भार वहन
झीने घूँघट पट से चमके

दो लाज भरे सुरमई नयन
निर्माल्य अछूता अधरों पर
गंगा-यमुना-सा बहता था
सुंदर वन का कौमार्य
सुघर यौवन की धातें सहता था
परिचय विहीन होकर भी हम
लगते थे ज्यों चिर परिचित हों।"

सन् 1954 ई. में दुष्यंत कुमार एम.ए की अंतिम कक्षा का इम्तहान देकर विश्वविद्यालयीन पढ़ाई से बाहर आए। आगे चलकर दुष्यंत कुमार छात्रवासी जीवन का परित्याग कर एक स्वाधीन गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने लगे। एम.ए. की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वे तुरंत नौकरी में लग गए और जीवन के अंत तक नौकरी करते रहें। श्री दुष्यंत कुमार की पत्नी श्रीमती राजेश्वरी त्यागी के शब्दों में - "दुष्यंत जी का पैतृक व्यवसाय तो खेती था। एम.ए. तक अध्ययन के बाद उन्होंने नौकरी ढूँढने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ लेखन कार्य भी चलता रहा। प्रारम्भ तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज में 'लेक्चरशिप' से किया। उसके बाद आकाशवाणी में पाँच वर्ष तक असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। आकाशवाणी छोड़कर फिर वे मध्यप्रदेश के भाषा विभाग में असिस्टेंट डाइरेक्टर बन गए और अंत तक उसी में रहें। बीच में एक साल के लिए वे आदिम कल्याण विभाग में रिसर्च ऑफिसर के पद पर रहें। नौकरी के दौरान उन्हें सीरतपुर, दिल्ली और भोपाल रहना पड़ा। नौकरी की इस दौड़-धूप के साथ-साथ पुस्तकों का लेखन कार्य भी चलता रहा।

दुष्यंत कुमार का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। दुष्यंत कुमार अपने माता-पिता के दूसरे संतान थे। दुष्यंत का प्रारम्भिक जीवन बहुत ही कष्टमय बीता है। दुष्यंत कुमार अपने बड़े भाई महेंद्र नाथ त्यागी से बहुत प्रभावित थे। स्कूल की वाद-विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार प्राप्त करके जब वे ट्रेन से लौट रहे थे, तब दरवाजे से बाहर झाँकने में उनका सिर रेल के सिगनल से टकरा गया और इस दुर्घटना में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अपने भाई के इस दर्दनाक मृत्यु ने दुष्यंत को अंदर से झंकझोर कर रख दिया। वे कई दिनों तक इस मृत्यु के विषय में सोचकर बेचैन रहे। उनकी दो बहने भी थी, जिनकी मृत्यु उन्हें पूरी तरह तोड़ देती है। अपनों की इन असामयिक मृत्यु ने दुष्यंत को एक जिम्मेदार आदमी बना दिया था, परंतु दुष्यंत के जीवन में अभी काल के और भी प्रकोप देखने बाकी थे। अंततः उनके पिता जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नियति के इस कुचक्र ने दुष्यंत को हिलाकर रख दिया, परंतु दुष्यंत इन सब आघातों को सहते रहें। अब समय आ गया था कि वे अपनी पत्नी, छोटे भाई प्रेमनारायण त्यागी और

वृद्ध माता के देखभाल, शिक्षा-दीक्षा आदि की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लें। गृहस्थ जीवन की चुनौतियों ने दुष्यंत को एक व्यावहारिक व्यक्ति बना दिया था। अपनों की मृत्यु का शोक और परिवार का उत्तरदायित्व उठाने की प्रतिबद्धता कवि की इन पंक्तियों में स्पष्ट देखी जा सकती है :

"एक बाजू उखड़ गया जब से,
और ज्यादा वज़न उठता हूँ।"

साहित्य के प्रति अत्यंत आदर का भाव रखने वाला कवि जब निजी जीवन की व्यस्तताओं और दायित्वों के कारण साहित्य के लिए समय नहीं दे पाता तो ऐसी परिस्थिति में दुष्यंत कुमार के भीतर का कवि खीझ उठता है। उसे लगता है जैसे वह अपने कवि हृदय के साथ अन्याय कर रहा है। उसका जीवन जिस महान उद्देश्य के लिए था, वह लक्ष्य उससे दूर होता चला जा रहा है। दुष्यंत कुमार की यह पीड़ा निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है :

"मैंने बाजार से रसोई तक
जरा-सी चड़ाई पार करने में
आयु को खफा दिया।"

दुष्यंत कुमार के साहित्य में व्यक्ति दुष्यंत और कवि दुष्यंत के बीच का अंतर्द्वंद कई जगह देखा जा सकता है। एक ओर जहाँ व्यक्ति दुष्यंत कुमार परिवार का पालक होने के कारण बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, परिवार के सदस्यों को जीवन की सभी सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए दफ्तर में नौकरी करने के साथ-साथ घर के अन्य जिम्मेदारियों को पूरी आत्मीयता से निभाता है, वहीं दूसरी ओर उसका कवि हृदय उसे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर अपना जीवन समाज और साहित्य की सेवा में लगाने के लिए बाध्य करता है। चूंकि कवि स्वभाव से संवेदनशील होता है, अतः उसकी आत्मा जब यह देखती है कि दुष्यंत जैसा संवेदनशील कवि समाज में हो रहे कष्ट और शोषण से मुँह चुराकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में उलझा हुआ है, तो उसकी आत्मा यह सहन नहीं कर पाती,

उसका कवि हृदय यह देखकर विद्रोह कर उठता है। इस अंतर्द्वंद की स्थिति में कई बार कवि को अपने जीवन से ही नफरत होने लगती है। यथा :

"मैंने बच्चों को युवा बनाने के लिए
एक दफ्तर में नौकरी कर ली।
फ़ोटो खिंचवाने के लिए
थोड़ी-सी हँसी माँग लाया।
अखबार में चेहरा छिपाकर एक सत्य पढ़ लिया।
धीरे-धीरे मैंने अस्तित्व का तर्क गढ़ लिया।
जैसे उस दिन, दीवार गिर पड़ी थी एक बच्चे पर,
किसी ने कहा – आओ देखें।
मैंने घड़ी देखी, नौ बजकर तीस हो चुका था।
मेरा चेक बैंक में रुका था।
मुझे शाम को फिल्म देखने जाना था।
यों पार्कों में जाना और
कभी-कभी उदास फिल्मी गीतों की धुनें गुनगुनाना भी
मुझे अच्छा लगता है।
मैं कोई कायर आदमी नहीं हूँ, जीने में रस लेता हूँ।
लेकिन इस जीवन से डरता हूँ
जिसको जीता हूँ।"

जब देश को अँग्रेजी शासन व्यवस्था से आजादी मिली तो लोग एक मुक्त और खुशहाल भारत की कल्पना कर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे। पचास के आरंभिक दशक में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी - "हम एक महान भारत का निर्माण करेंगे – एक ऐसे भारत का, जो विचारों के लिहाज से महान होगा, कर्म की दृष्टि से महान होगा, जिसकी संस्कृति महान होगी तथा जो मानवता की सेवा में महान होगा।"

लेकिन दुःख की बात यह है कि इस घोषणा के दशकों बीत जाने के बाद भी उस महान भारत का सपना आज भी अधूरा है। समय के साथ देश की हालत सुधरने की जगह दिन-प्रतिदिन देशवासियों का जीवन अंधकारमय एवं विषण्ण होता चला जा रहा है। इन सबका कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों का कार्यान्वयन सही ढंग से न होना था। दुष्यंत कुमार देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसमें व्याप्त स्वार्थपरता एवं भ्रष्टाचार से भली-भांति परिचित थे। अतः उनकी रचनाओं में उनके राजनीति संबंधी विचार स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

"कहाँ तो तय था चरागाँ हरेक घर के लिए,
कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है,
चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए।।"

आजादी का तात्पर्य केवल अँग्रेजी शासन व्यवस्था से मुक्त होना नहीं है। किसी भी मुल्क या समाज की वास्तविक आजादी बीमार मानसिकता की जकड़न, रूढ़िवादिता, अपराध, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बाल श्रम एवं पेट की भूख से मुक्ति पाने को ही स्वर्णिम आजादी माना जा सकता है। परंतु आजादी के बाद देश की कैसी दयनीय स्थिति हो गई है, इसका चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं -

"कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए,
मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है।"

वास्तव में आजादी के बाद जहाँ देश की हालात में सुधार होनी चाहिए थी, वहीं अब तक देश में गरीबी का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में विश्व गुरु के नाम से जाने जानेवाले देश की स्थिति कैसी हो गई है, इसका चित्रण दुष्यंत कुमार ने अनेक स्थलों पर किया है:

"संस्कारों की अरगनी पर टंगा
एक फटा हुआ बुरका
कितना प्यारा नाम है उसका – देश।"

इसी क्रम में देश की स्थिति पर कवि का निम्नलिखित व्यंग्य द्रष्टव्य है :

"बहुत मशहूर है आयें जरूर आप यहाँ,
ये मुल्क देखने के लायक है, हसीन नहीं।"

राजनीति में मिथ्या प्रचार को एक अस्त्र के रूप में बहुत पहले से प्रयोग किया जाता रहा है। जब देश की जनता राजनेताओं से उनके काम का हिसाब मांगती है तो वे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए झूठे प्रचार का सहारा लेना प्रारम्भ कर देते हैं। झूठे इश्तहारों के जरिए समाज की दयनीय स्थिति पर पर्दा डालकर विकास की झूठी कहानी का प्रचार किया जाता है -

"अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार,
घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार।"

परंतु दुष्यंत कुमार जैसे लेखक जो समाज को अपनी नंगी आँखों से देखने में विश्वास रखते हों, वह इन मिथ्या प्रचारों के बहकावे में भला कैसे आ सकते थे। अतः उन्होंने देश की जनता को विकास के इस झुठे छलावे से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया है -

"आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख,
घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख।

* * * * * * * * * * * *

अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह,
यह हकीकत देख लेकिन खौफ़ के मारे न देख।"

दुष्यंत कुमार ने अपने जीवन में पराधीन और स्वतंत्र दोनों प्रकार के भारतीय समाज को बहुत नजदीक से देखा था। कवि दुष्यंत ने न केवल परिवार की ज़िम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाया था बल्कि एक कवि के समाज के प्रति कर्तव्य को भी अच्छी तरह समझते थे। वे समाज में व्याप्त बुराइयों से न केवल भली-भांति परिचित थे बल्कि इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष भी किया -

"ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा,
मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा।
यहाँ तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ,
मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।"

एक ओर जहाँ देश का गरीब किसान और मजदूर भूख और कर्ज के बोझ से रोज़ तिल-तिल कर मर रहा है, वहीं देश की संसद पर आसीन पक्ष और विपक्ष के लोग इसे एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने में लगे हैं -

"भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ,
आजकल दिल्ली में है, ज़ेरे बहस ये मुद्दआ।
मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह
ज़िंदगी ने जब छुआ तो फ़ासला रखकर छुआ।।"

दुष्यंत कुमार के भीतर व्याप्त यह आक्रोश भाव उन्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि इस आक्रोश को उन्होंने अपनी शक्ति बनाई है। समाज के प्रति उनकी यही संवेदना उन्हें समाजोन्मुख बनाती है, उन्हें समाज के दुःख-दर्द से जोड़ती है। यह वेदना उनमें कुंठा या निराशा नहीं भरती अपितु उनमें संकल्प शक्ति भरती है, समाज कल्याण के लिए किए जानेवाले संघर्ष हेतु उनका मार्ग प्रसस्त करती है। कवि के मन में उत्पन्न इसी आक्रोश के भाव को वह जन-जन के मन में जागृत करना चाहते हैं, ताकि सत्ताधारियों और पूँजीपतियों का अत्याचार एक लाश की भांति चुपचाप सहन करने वाली जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु सज्ज हो जाए। कवि यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि यह व्यवस्था विरोध केवल हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक इस विकृत व्यवस्था को समाप्त कर नई शोषण मुक्त व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक यह आक्रोश की अग्नि किसी न किसी के अंदर जलती रहनी चाहिए -

"हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में,
हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।"

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार की साहित्य विषयक दृष्टि उनके साहित्य के समान ही महान और व्यापक है। साहित्य के प्रति उनके इस आदर्श दृष्टिकोण के कारण ही उनका साहित्य इतना उत्कृष्ट बन सका है और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी दुष्यंत कुमार की रचनाएँ पाठकों का हृदय हार बनी हुई है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में 29 सितंबर की वह काली रात भी आई जब हिन्दी साहित्याकाश ने अपना एक चमचमाता हुआ सितारा खो दिया। 29 सितंबर 1975 को दुष्यंत कुमार इस संसार को छोड़कर चले गए। यद्यपि आज दुष्यंत कुमार हमारे बीच नहीं हैं, परंतु अपने अविस्मरणीय साहित्य की वजह से वे युगों-युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे।

सूरज प्रसाद
प्रबन्धक (राभा)
अंचल कार्यालय, कोलकाता

हिन्दी माह 2019 समापन समारोह के दौरान हिन्दी वेब पेज का अनावरण

हिन्दी माह 2019 समापन समारोह के दौरान राजभाषा विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा तैयार "ग्राहक-बैंकर संवाद" पुस्तिका का विमोचन

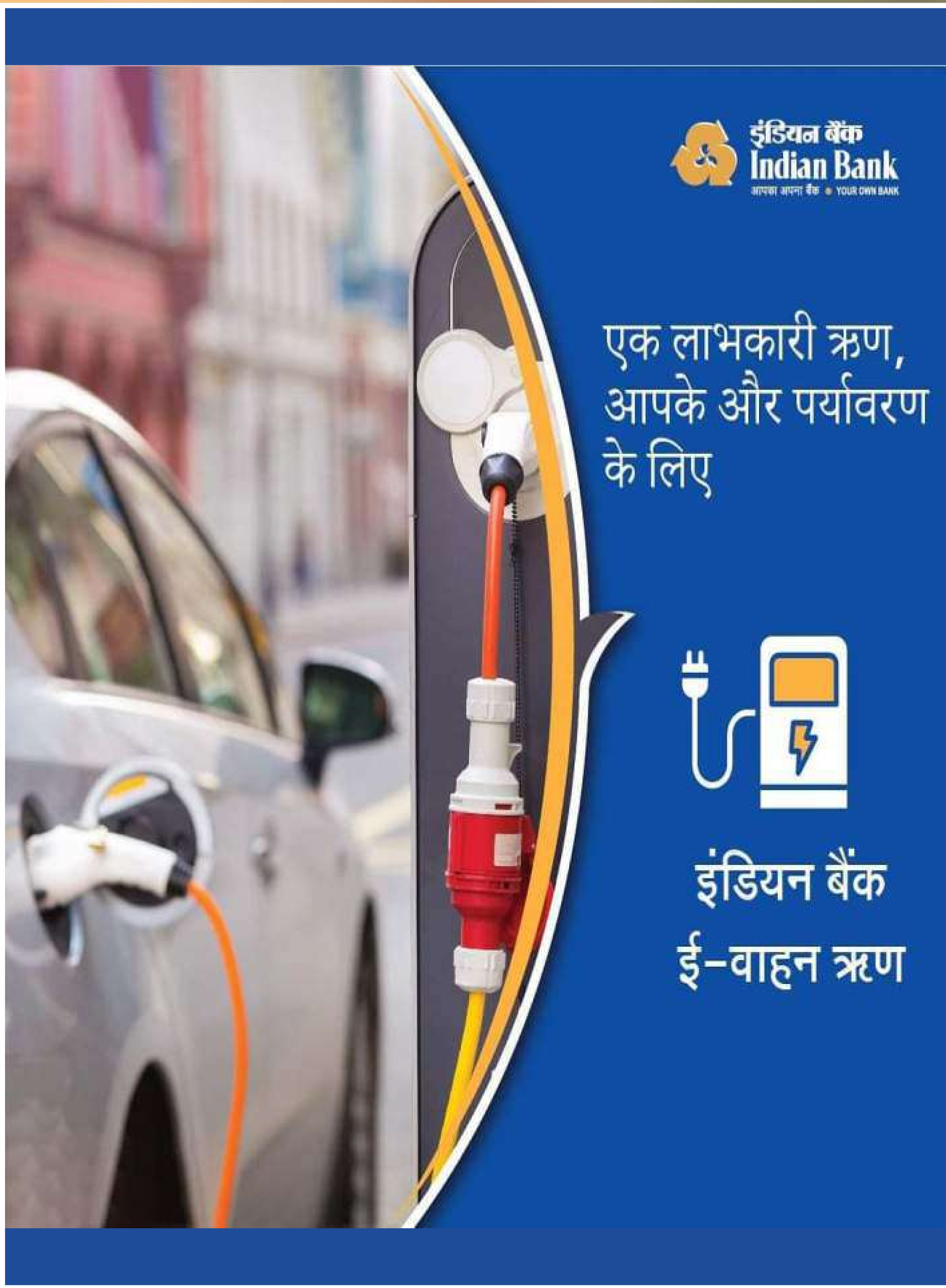

मुद्रण दिनांक : 25.10.2019